The Vice-Chairman (Shri John F. Fenandes): Dr. Mohan Babu—absent.

THE RIGHT TO HOUSING BILL, 1998

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a fundamental right to housing to the citizens so that every citizen gets an appropriate shelter or dwelling house from the State at affordable price with necessary facilities like drinking water, electricity, sewerage, drainage, road, park etc., and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

MISS SAROJ KHAPARDE: Sir, I introduce the Bill.

THE PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN EMPLOYESS AT THEIR WORK PLACES BILL, 1998.

SHRIMATI KAMLA SIHNA: (Bihar) Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention of sexual harassment of women employees at their work places by their employers, superiors, collegues or by any one connected with the work place and matters connected therewith.

The Question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI KAMLA SIHNA: Sir, I introduce the Bill.

THE HOMEBASED WORKERS (PROTECTION) BILL, 1998.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protection of the homebased workers in the country and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, I introduce the Bill.

THE ABOLITION OF CAPITAL PUNISHMENT FOR WOMEN, CHILDREN AND INFIRM PERSONS BILL, 1998.

SHRIMATI VEENA VERMA (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to abolish capital punishment for women, children and the infirm persons.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI VEENA VERMA: Sir, I introduce the Bill.

THE RAGPICKERS AND OTHER VAGABOND STREET CHILDREN (REHABILITATION AND WELFARE) BILL, 1994 — (CONTD.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Now, we resume further discussion on the Ragpickers and other Vagabond Street Children (Rehabilitation and Welfare) Bill, 1994. Shri Bangaru Laxman. The hon. Members is not present.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Sir, so far as slogan relating to this Bill is concerned, it should be 'send the child to school'. So far as the Bill is concerned, there is the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986. As per Section 3 of this Act, no child shall be employed or permitted to work in any of the occupations setforth in Part A of the Schedule or in any workshop wherein any of the processes set forth in Part B of the Schedule is carried on. So far as part A of the Schedule is concerned, any occupation connected with transport of passengers, goods or mails by railway have been mentioned. In fact, five categories of occupations have been mentioned in Part A of the Schedule. In Part B of the Schedule, there are another eleven types of occupations, including Beedi making. In all these categories children are prohibited to work. So far as Section 14 is concerned, it says: The appropriate Government may issue a notification in

the Official Gazette, make rules for health and safety of the children employed or permitted to work in any of the establishment or class of establishments. Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the said rule may provide for all or any of the following matters viz. cleanliness in the place of work. In Section 14 (b) it has been mentioned disposal of waste and effluent. So, my first submission is that so far as the present Bill is concerned, it relates mostly to the provisions of the class that has been provided in the earlier Act. So, I would suggest that we can bring in an amendment to the Act of 1986 so that the present Bill, as formulated by my learned friend, will suffice.

Furthermore in the morning, while we were having a discussion on a question, the HRD Minister explained on the problems of the child labour in the country. To that effect I would say that the hon. Minister has already stated that the Government will shortly be convening a conference in order to evolve a scheme to tackle the whole problem of removing illiteracy. Primary education is being made free and compulsory up to the eighth class. For women, education is being made free up to the graduate level. To achieve this aim, a special budgetary allocation of Rs. 100 crore has been made. Our budgetary allocation for elementary education is Rs. 2,778 crore. As soon as the primary education is made compulsory, it will be a very welcome thing. Whatever may be the budgetary provision, it is our primary duty to send every child to the school. Furthermore, there are several legislations. So far as abolition of child labour is concerned, there are about 22 legislations. All these legislations have not been properly implemented. As a result of which we could not eliminate the child labour completely.

The other thing I would like to say is that there are several schemes for elimination of child labour. One of the important schemes is the National Child Labour Programme wherein children who are working in the hazardous occupations have to be withdrawn and should be rehabilitated in the schools. At the same time, I would like to say that since this subject comes under the Ministry of Labour, the schools that are being run for these children are not being monitored properly.

On a previous occasion, I had stated that unless and until these programmes are pursued seriously, the implementation of these programmes will not be effective.

So far as the present Bill is concerned, I submit that there should be an amendment to the original Act. So far as elimination of child labour is concerned, there should be a proper monitoring of the programmes.

Sir, I thank you for having given me this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JHON F. FERNANDES): Chaudhary Chunni Lal. Absent. Shri Lajpat Rai. Absent. Shri Hiphei. Absent.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री अहमद पटेल साहब ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कुछ कहने से पहले मैं श्री अहमद पटेल साहब को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा क्योंकि देश की अत्यंत गंभीर और ज्वलंत समस्या की ओर इन्होंने सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। साधारणतया और प्राय ऐसे विधेयक पर सरकार अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए विधेयक के प्रस्तुतकर्ता से निवेदन करती है कि इस विधेयक को वापिस ले लें और सरकार इसके बारे में विधेयक लाएगी। इस विधेयक का भविष्य भी सम्भवतः यही होगा। लेकिन हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी बहुत ही विद्वान हैं और मुझे सौभाग्य मिला आपातकाल के दिनों में इनके साथ एक वर्ष तक नैनी कारागार में रहने का और जब मैं नैनी कारागार में माननीय जोशी जी के साथ था तब मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा था क्योंकि यह प्रयाग यूनिवर्सिटी में बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता थे, चिन्तक हैं, विचारक हैं और तब मैंने इनकी भावनाओं को समझा था और इसीलिए मझे आसान लगता है कि जब अहमद पटेल जी इस विधेयक को वापिस ले लेंगे तब भी मानव संसाधन विकास मंत्री जी यदि इनकी

सरकार रहेगी तो इस संबंध में सरकारी विधेयक ले आएंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम: आप आश्वस्त कर दीजिए कि सरकार रहेगी तो विधेयक ले आएंगे।

श्री ईश दत्त यादव: आप चिन्ता मत कीजिए। मान्यवर, यह तो सही है कि आज इस देश में करोड़ों बच्चे और करोड़ों नहीं बल्कि सरकार ने अभी तक इनकी संख्या का पता नहीं लगाया होगा जो आज जीविका के लिए गंदी जगहों पर कूड़ा-करकट में पड़े हुए सामानों को इकट्ठा करते हैं, अपनी ही नहीं अपने परिवार की दोनों की जीविका चलाने के लिए कि कहीं कूड़े-करकट में कुछ दाने मिल जाएं, कुछ गिरे पैसे मिल जाएं, कुछ टूटे बर्तन मिल जाएं,

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) पीठासीन हुईं।

और ऐसा सामान मिल जाए जिसको बाज़ार में बेच कर वे कुछ धन उपार्जन कर सकें और इससे उनकी जीविका चल सके। इस सबका कारण महोदया इस देश में जो भी सरकार रही, वह है। किसी भी सरकार ने इस गंभीर विषय पर कभी भी चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया और विचार किया तो सरकार ने यह कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं लेकिन अगर देश के नौनिहालों के साथ, देश का जो कल का भविष्य है, अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार रहेगा, उसकी उपेक्षा होगी तो यह बड़ी चिंताजनक स्थिति होगी। आज पचास फीसदी से अधिक बच्चे जो गांव के रहने वाले हैं, वे विद्यालयों में पढ़ने नहीं जाते। मजबूरी होती है। यह नहीं कि उनके माता-पिता नहीं चाहते हैं कि उन्हें शिक्षा दी जाए बल्कि बच्चा ज्यों ही कुछ काम करने लायक होता है, पैसा इकट्ठा करने के लिए या परिवार का खर्चा चलाने के लिए मां-बाप भी उसको अनुमति दे देते हैं। तरह-तरह की यातनाएं उन बच्चों को सहनी पड़ती हैं। बंधुआ मज़दूर के रूप में काम करना पड़ता है। अगर कूड़ा-करकट से संपत्ति न इकट्ठा कर सकें, मजबूरी रहे तो बंधुआ मज़दूर के रूप में उन्हें काम करना पड़ेगा, चाहे खाली नौकर के रूप में काम करें, चाहे किसी प्राइवेट फर्म में काम करें, चाहे भदोई में बनने वाले कालीन में काम करें, चाहे कहीं काम करें, उनके लिए मजबूरी होती है। इसलिए महोदया, यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और यह करने के बाद भी बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं।

अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश का जहां से मैं आता हूं। मानव संसाधन विकास मंत्री जी को भी जानकारी होगी, अन्य सदस्यों को भी होगी कि पूर्व के जिले में गरीबी इतनी है कि 50 परसेंट से ज्यादा बच्चे स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते। कहीं-कहीं तो मैंने देखा है कि खेतों में जो चूहे रहते हैं, वे बिल बना कर अनाज अंदर ले जाते हैं और जब फसल कट जाती है तब उसके बाद बच्चे बिल को खोदते हैं और उसमें से अनाज निकाल लेते हैं। कभी-कभी घटना हुई कि उसमें से सांप निकला और उसने बच्चे को काट लिया, बच्चा मर गया। मवेशी जो है, ये कभी-कभी अनाज खा लेते हैं और जो उसका गोबर होता है, उसमें से भी बच्चे अनाज के दाने निकाल लेते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि गोबर को भी गरीब का बच्चा इकट्ठा करता है और उससे उसके परिवार की रोटी बनती है। हम आज़ादी की स्वर्ण-जयंती मना रहे हैं। किस बात की स्वर्ण-जयंती मना रहे हैं? आज करोड़ों बच्चे गरीबी और कुपोषण के शिकार हैं। उनकी रोज़ी-रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। उनकी पढ़ाई का कोई ठिकाना नहीं है और उनका भविष्य केवल गंदी जगहों से जीविकोपार्जन करने का है। नहीं, यह सरकार व्यवस्था नहीं कर सकी है। मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं देना चाहूंगा, न इस सरकार को, न पिछली सरकारों को लेकिन सरकार को इस मानवीय विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ठीक है, भूल हुई, तो हुई किसी कारण से सरकारों ने विचार नहीं किया। अब मैं वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर आप गंभीरता से विचार करें।

इस देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली है। दोहरी-तीहरी और कई प्रकार की शिक्षा प्रणाली है। क्या इस देश के करोड़ों बच्चों को इसका लाभ मिल पा रहा है?

मैडम, मैं गांव में रहता हूं। हम लोगों के गांव में स्कूल है जहां कोई छत नहीं है, पेड़ के नीचे हम लोग पढ़े और आज भी बहुत से गांवों में बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो। उनको बैंच और चेयर नसीब नहीं है, वे टाट पर बैठकर पढ़ते हैं और दूसरी तरफ कांवेंट स्कूल हैं और न जाने कितने देहरादून के स्कूल हैं जहां पर देश के पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई पर पांच हजार रुपये, सात हजार रुपये, दस हजार रुपये महीने लगते हैं। पूंजीपति का बच्चा एअर कंडीशन में बैठकर पढ़ेगा और गरीब का बच्चा टाट पर बैठकर पढ़ेगा तो दोनों के भाग्य का निपटारा भी उसी दिन हो जाता है। जो बच्चा टाट पर बैठकर पढ़ता है, वह टाट बोरे का बनता है और जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके सिर पर बोरा लादा जाता है और जो बच्चा कुर्सी पर बैठ कर पढ़ता है,

उसके भाग्य में कुर्सी पर बैठना लिखा रहता है। फिर वह एअर कंडीशन कमरे में बड़ा अफसर हो जाता है, बड़ा हाकिम हो जाता है। आज इस देश के अन्दर दोहरी शिक्षा प्रणाली है। मैं निवेदन करूंगा माननीय जोशी जी से कि इस विषय पर भी आप गम्भीरता से विचार करें। यह दोहरी शिक्षा नीति ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम: यह सवाल कल्याण मंत्री जी से संबंधित है।

श्री ईश दत्त यादव: मैं समझता था कि शिक्षा विभाग आपके ही जिम्मे है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: मैं आपकी बातों को पूरी तरह से सुन रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): गौतम जी, आप बैठकर मंत्री जी को कंफ्यूजन में मत डालिए। माननीय सदस्य को मालूम है कि उन्हें किस मंत्रालय से क्या पूछना है।

श्री ईश दत्त यादव: मैडम, गौतम जी का स्वभाव ही है इस सरकार को कंफ्यूजन में डालने का और मंत्री जी को तो कंफ्यूजन में डाल ही रहे हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में हैं। जब तक आप हमारे साथ नैनी जेल में थे, आप बड़े साफ दिमाग के थे, लेकिन जब से आप उधर चले गए हैं...(व्यवधान)...

श्री ईश दत्त यादव: यही तो मैं भी सोच रहा था कि आपके विचार में इतना परिवर्तन क्यों हो गया है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: मेरे विचार में परिवर्तन नहीं है आपके विचार में है।

श्री ईश दत्त यादव: महोदया, मैं अपनी भूल को सुधार रहा हूं और श्रीमती मेनका जी से अनुरोध कर रहा हूं। मैं एक दिन इनका टी०वी० पर साक्षात्कार देख रहा था, बहुत अच्छा प्रसारण आ रहा था जीवों के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए इनके दिल में बड़ी हमदर्दी है, बड़ी दया है। उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। एक दिन शायद पिछले हफ्ते टेलीविजन पर इनका कोई साक्षात्कार देख रहा था कि पशुओं का वध न किया जाए, धार्मिक स्थलों पर जो बकरे और दूसरे जानवरों की बलि दी जाती है, उनका निषेध करने के लिए इन्होंने कहा। जब पशु-पक्षियों के लिए मेनका जी के दिल में इतनी बड़ी दया है तो यह तो इन्सान के बच्चे हैं, उनके लिए तो उनके दिल में, उनके मन में बहुत दया होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): उसके लिए क्या आपके मन में कोई सन्देह है?

श्री ईश दत्त यादव: हमारे मन में संदेह नहीं है लेकिन मैं अपनी बातों से इनके विचारों को और भावनाओं को और तीव्र करना चाहता हूं। इनका उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो इन्सान के बच्चे हैं उनकी बलि तो आदमी नहीं चढ़ाता है लेकिन भूख और कुपोषण की वजह से उनकी बलि अपने आप हो रही है। इसलिए मैं माननीया मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें।

थोड़ा विषयान्तर जरूर हो रहा था। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से कह रहा था कि सौभाग्य से आप सदन में बैठे हैं। आप इस देश की शिक्षा प्रणाली पर गम्भीरता से विचार करें। इस देश में कई प्रकार की शिक्षा प्रणाली है। आपने प्रातःकाल श्रीमती कमला सिन्हा जी के प्रश्नोत्तर में कहा कि इस देश के अन्दर फेक यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। इस देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी बच्चों का शोषण कर रहे हैं।

[3.00 P.M.]

इस देश में फेक प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, जूनियर स्कूल, हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कॉलेज भी चल रहे हैं। इस प्रकार के जो स्कूल चल रहे हैं और जो अच्छे विद्यालय चल रहे हैं जिनको बड़े लोग चला रहे हैं इनकी शिक्षा प्रणाली और आपके नवोदय विद्यालय व सैन्ट्रल स्कूल की शिक्षा प्रणाली में बहुत अंतर है। इसलिए इस देश की शिक्षा प्रणाली में मौलिक सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनके मां-बाप नहीं हैं, यदि मां-बाप हैं तो उनकी जीविका का कोई साधन नहीं है, विवशतावश वह घिनौनी जगहों से, गंदी जगहों से अपनी जीविका इकट्ठी करते हैं उनका सर्वेक्षण करके ऐसे बच्चों की सूची बनवाए और इन यतीम बच्चों के लिए न केवल भोजन, वस्त्र की व्यवस्था करे बल्कि उन्हें स्कूल में उचित शिक्षा देने की भी व्यवस्था करें।

महोदया, हम तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। मानव संसाधन मंत्री और मेनका जी में से कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपकी ही बात कर रहे हैं वे।

डा० मुरली मनोहर जोशी: हम आपके सुझावों की गम्भीरता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपका ख्याल है कि...

श्री ईश दत्त यादव: मैं आपका बहुत आभारी हूं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: मगर यह सवाल है कि आप स्वयं अपने सुझावों के लिए कितने गंभीर हैं?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): क्या बात है ईश दत्त जी, आज आपका सारा रोष मेनका जी के ऊपर है या दूसरे मंत्री जोशी जी के ऊपर है?

श्री ईश दत्त यादव: मैडम, मंत्री जी तो दोनों ही है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी से मैंने एक साल बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन उस समय और इस समय में परिवर्तन हो गया है।

श्री संघ प्रिय गौतम: आप उपसभाध्यक्ष जी को सम्बोधित करिए।

श्री ईश दत्त यादव: मैं उपसभाध्यक्ष जी को ही संबोधित कर रहा हूं।

मैडम, मैं इस विषय को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। बहुत से और माननीय सदस्य इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। अन्त में, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि देश में जो इस प्रकार के अनाथ बच्चे हैं, जिनकी जीविका का कोई साधन नहीं है, जो गरीबी के शिकार हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं उनके लिए भोजन, वस्त्र और शिक्षा की व्यवस्था करे। यदि उनके मां-बाप अपाहिज हैं, उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है या विवशतावश अपने चार साल, छः साल या आठ साल के बच्चे से जीविका कराते हैं तो उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को श्री अहमद पटेल के बिल में दिए गए प्रावधानों पर गम्भीरता से विचार करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री अहमद पटेल जी के इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं और माननीय मेनका जी से भी निवेदन करता हूं कि जब आपके हृदय में पशु-पक्षियों के लिए इतनी वेदना है, दर्द है तो आदमी के बच्चों के लिए भी जरूर वेदना होगी, दर्द होगा।

उनके भविष्य के लिए अहमद पटेल साहब द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं, उनको दृष्टिगत रखकर आप सदन में इसका आश्वासन दे और यह प्रयास करें कि शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार का विधेयक सदन में आए जिससे इस प्रकार के करोड़ों अनाथ बच्चे इस देश के सजग प्रहरी बन सकें। स्वाभिमानी नागरिक बन सकें और देश के कर्णधार बन सकें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः श्री अहमद पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, it is a national shame that after 50 years of our independence we are discussing such a Bill. Though this Bill was introduced in 1994, it took four years for this Bill to come for discussion before this House. I compliment my colleague, Mr. Patel, for triggering a national debate, for arousing the conscience of this House and our nation, on the plight of our brothers and sisters in the streets. At the same time, I would also suggest that Mr. Patel has brought this Bill not to ban ragpicking in the streets but only to take measures for their welfare. It would have been most appropriate, if a Bill had been introduced by the Government to ban such activities by our children in the streets. We say that it is a welfare State, it is a most advanced State, it is a nuclear power State. But what are we doing to our children? Millions and millions of children are living in the streets. How come our conscience has not been aroused for so many years? The welfare schemes are proposed by the welfare States. In the Directive Principles of our Constitution it is enshrined that it shall be the duty of the State to see that minimum education is given to its children. The Government has brought some legislation to ban child labour, to ban labour performed by children in hazardous factories and in construction sites. This also includes domestic servants. I don't know why the Government did not include the ragpickers and the street children in the category and take measures to see that such activities by minors are banned in the country. It is mentioned in the Statement of Objects and Reasons that this problem is more felt in urban areas and this is possible because our system in the urban areas is totally different. It happened in my State also because we were a colonial pocket ruled by the Protuguese. The then colonial Government had a good system of ragpicking. The municipal administration, the *cambras*, was well managed. When we were liberated we jointed the national mainstream and we can now see what the difference is. What I am trying to say is

that we don't require foreign NGOs. I am told that in Bangalore the children are rehabilitated by an NGO funded by foreign money. I am against that. Are we so poor that we cannot manage our own children in this country? We have joined the nuclear club. There is lack of initiative on the part of the law-makers, the policy-makers and the Government of this country. I am happy that Mrs. Maneka Gandhi is here. She is taking good interest even for street dogs and she is going to open a hospital for street dogs in my State. I have assured her some fund from my MPLDs fund. Why don't we have a scheme under the same fund to rehabilitate the street children? Why don't the Government come with a scheme to provide shelters, to provide creches and to hand over them to the State Governments so that the children are properly rehabilitated and they are given good education? I think funds will not be a big problem. We are wasting so much of funds. The funds do not go to the purpose for which they are earmarked. I would request the Government to propose a scheme under the MPs' Local Area Development Scheme. It is necessary to propose such a scheme and to bring it under the purview of this fund. The Members of Parliament are entitled to provide shelters to the children. So, a scheme should be proposed and implemented through the State Governments. The Central Government should allocate the funds to the State Governments to see that proper education, proper meals and other facilities are provided to them. The moment they enter adulthood, most of them have to bid us goodbye because they are not properly fed. There is malnutrition. Unless they are properly nourished to become good citizens, I don't think it will be appropriate for the Welfare State to say that it is playing its role in the society. I hope the Government will come with a positive response. I will request the hon. Member to withdraw this Bill. I hope the Government will come out with a comprehensive Bill not only to rehabilitate the street children but also to ban children from working in industries. They can incorporate it in the Act which bans children from working in industries and hazardous factories.

With these few submissions, I hope the Government will come out with a positive response and will come forward with a Bill before it is too late.

Thank you.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, व्यक्तिगत विधेयक या व्यक्तिगत प्रस्तावों की परम्परा मेरा ख्याल है जब से इस सदन का निर्माण हुआ होगा, तभी से रही है। लेकिन बहुत कम व्यक्तिगत विधेयक और प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको सरकार ने स्वीकार किया है या उन को सरकारी विधेयक या प्रस्ताव के रूप में उन्हें स्वीकार कर के इस सदन में पारित या प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर भी इनका लाभ यह रहा है कि जो सदस्य इस प्रकार के विधेयक या प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, वे विधेयक और प्रस्ताव का निर्माण करना सीखते हैं, विषय खोजते हैं और विषय के उद्देश्य क्या हों, उनकी भी खोज करते हैं और फिर उस विषय पर विचार हो कर के ज्ञान-वर्द्धन, देश का हित, विकास और कल्याण की दिशा में सदन में चर्चा करने का अवसर प्रदान करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है जैसा कि इसके उद्देश्य से ही प्रकट होता है। इस बात को कहना बहुत आसान है कि करोड़ों बच्चे जो स्कूलों में जाने चाहियें, विद्यालयों में जाने चाहियें। वह प्रातःकाल से ही गलियों और सड़कों, गलियारों में कूड़ा-कर्कट और कबाड़ इकट्ठा कर के बेचते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। लेकिन इसके पीछे वास्तविक भूमिका क्या है? क्या कारण है? बहुत से लोग यहां पर कैंसर रोग से पीड़ित हैं। कहा जाता है कि कैंसर का इलाज बड़ा कीमती है। इसके इलाज के लिए विदेशों में भी लोगों को भेजते हैं और पैसा बड़ा खर्च होता है, फिर भी बहुत से मरीज़ प्राण गवां देते हैं। बजाय इसके कि कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल खोलें और कैंसर के इलाज की व्यवस्था करें, पैसे के अभाव में अपने जीवन को गवां बैठें, मैं यह चाहता हूं कि हमें उसके कारणों में जाना चाहिये। आज से दो तीन साल पहले जब मैं इस सदन का सदस्य था तब तम्बाकू छोड़ों दिवस पूरे विश्व में मनाया गया था। हमारे देश में भी मनाया गया था। सारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक डाक्टर इकट्ठे हुए और उन्होंने कारण बताए कि कैंसर का कारण है तम्बाकू का सेवन।

हजारों करोड़ों पढ़े लिखे लोग, इस सदन के सदस्य सुबह से शाम तक तम्बाकू खाते हैं, पान में तम्बाकू खाते हैं, हर वक्त तम्बाकू खाते हैं बजाय इसके कि केंसर के रोग से पीड़ित हों, इलाज के अभाव में अपने प्राण गवाएं, अस्पताल में पड़े रहें, तम्बाकू खाना क्यों न छोड़ दिया जाए। लेकिन तम्बाकू खाना छोड़ने पर ज्यादा ज़ोर नहीं है। आप जानते हैं कि सिगरेट पर लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही लिखा हुआ है। रिक्शा चलाने वाले या सड़क पर मजदूरी करने वाले लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। संसद् सदस्य, विधायक, आई०ए०एस०, आई०पी०एस० और पढ़े-लिखे लोग सिगरेट पीते हैं।

इससे केंसर होता है। ठीक इसी तरह से शराब से रेवेन्यु की तलाश में सरकार हर साल राजस्व प्राप्त करने के लिए नयी नयी शराब और शराब की दुकानें 100—100 मीटर की दूरी पर खुलवाती है। शराब की बोतल पर भी यह लिखा रहता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो शराब के आदी हो जाते हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों से यह कबाड़ इकट्ठा करवाते हैं।

इसमें उल्लेख है इस बात का। तो बजाए इसके कि उससे जो पीड़ित हों, शराब से—वह यह काम करवाएं, शराब पर पाबंदी लगानी चाहिए और शराब पर पाबंदी लगायी गयी थी मोरारजी देसाई जब प्रधान मंत्री थे। अब राजस्व कहां से आएगा। इसका विकल्प तलाश करना चाहिए। हमारे दिमाग में भी बहुत से विकल्प हैं राजस्व लाने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए और खर्चे कम करने चाहिए। ठीक इसी तरह से करोड़ों बच्चे ऐसे काम क्यों करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि इस देश में इतने बच्चे क्यों पैदा होते हैं। आज बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। इसके ऊपर महात्मा गांधी जी ने कहा। बर्थ कंट्रोल होना चाहिए—नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने कहा। बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर—जिन्होंने इस संविधान को बनाया 1938 में बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने कहा कि देश में बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन आज इस बात को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। यह कब होगा? जब तक जन प्रतिनिधियों और जनता की भागीदारी, इन्वाल्वमेंट इसमें नहीं होगा। आज कोई सामाजिक संस्थान, स्वयंसेवी संस्थान इस देश में ऐसा नहीं है जो इस बात का प्रचार करे और लागू करवाए कि दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए—छोटा परिवार सुखी परिवार...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप इसमें एक बहुत महान नेता को भूल रहे हैं। संजय गांधी ने भी तो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें किया था। उनका नाम आप कैसे भूल गए।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं उनकी तारीफ करूंगा ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): नहीं। तारीफ मत करिए...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: नहीं। आपने मुझे रिमाइंड कराया। आपकी बात सही है। उपसभाध्यक्ष महोदया, उन्होंने इसको सख्ती से लागू किया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। थोड़े समय के लिए मैं कांग्रेस में था...(व्यवधान) उन्हीं को मुखातिब करके है ...(व्यवधान) कुछ समय में कांग्रेस में था। मुझे कांग्रेस से निकाला गया।

श्री ईश दत्त यादव: कितनी पार्टियों से निकाले गए?

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं एक ही पार्टी में रहा हूं बस। मैंने कभी दल नहीं बदला। एक ही पार्टी में था। मैं तो सिर्फ उसमें गया था...(व्यवधान) I am in BJP since its inception.

बीस सूत्री कार्यक्रम के ऊपर यहां मावलंकर हाल में एक सम्मेलन हुआ था और उसमें स्वर्गीय श्री डी०के० बरुआ ने कांग्रेस के प्रेजीडेंट को अध्यक्षता करनी थी। स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी भी वहां आए। मैंने जब बोला तो उन्होंने मेरी ताइद की। मेरी तीन मित्र उस समय यहां पर मिनिस्टर थे। मैंने उनको सपोर्ट किया और हमारे यहां पर कलेक्टर ए०के० दास ने दस हजार वेसेक्टामी के लिए एक कैंप लगाया। उसमें मैंने अपने आपको, अपने भतीजे को, अपने भांजे को और अपने छोटे भाई को आफर करके वेसेक्टामी करायी। हमसे उस समय पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा कि — This is the national cause. This does not relate to any political party.

उसमें सहभागीदारी अपनी थी। तो मैं स्वर्गीय संजय गांधी को भी बधाई देता हूं। उन्होंने भी यह काम किया। आज सबसे पहले हम सब लोगों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि बर्थ कंट्रोल हो, बच्चे दो से ज्यादा नहीं हों। हमारे यहां बहुत से राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव पारित किए। मेरी पार्टी ने अपने मैनीफेस्टो में लिखा कि दो से ज्यादा बच्चे जिसके हैं उनको हम कोई संगठन की जिम्मेदारी नहीं देंगे या निर्वाचन निकायों में उनको उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। मुझे खुशी है कि जब राजस्थान में भैरों सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में गांव पंचायत के चुनाव लड़े गए तो उसमें उन्होंने इसको क्रियान्वित किया

और दो से ज्यादा बच्चे जिनके थे उनको गांव पंचायत का टिकट नहीं दिया ..(व्यवधान).. मैं उसी विषय पर आ रहा हूंकि इसमें यह है ..(वयवधान)

THE VICE-CHARIMAN (MISS SAROJ KHAPARDE); Let him speak.

श्री ईश दत्त यादव: आपकी मेडन स्पीच है।

श्री संघ प्रिय गौतम: हां, मेडन स्पीच है लेकिन ..(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मेडम स्पीच के वक्त हम लोगों को उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेट हिम फिनिश।

श्री संघ प्रिय गौतम: सुनिए। दूसरा जार्ज फर्नांडिस जी ने ध्यान दिलाया कि..(व्यवधान)..

श्री ईश दत्त यादव: मैडम, ये मंत्री जी की जगह से बोल रहे हैं..(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): यादवजी, क्या तकलीफ हो रही है? मंत्री जी की जगह से बोल रहे हैं, आज नहीं तो कल मंत्री बन जाएंग। आपको क्या तकलीफ होनी चाहिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: जो संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांत हैं आर्टिकल 45 में जिनका उल्लेख माननीय फर्नांडिस जी ने किया, सरकारों की कितनी इच्छा शक्ति रही जो हमने इनका कार्यान्वयन किया और जिसने कार्यान्वयन करना चाहा वे नाकामयाब हुए। इसी में जनता सरकार ने कहा राइट टु वर्क जो है वह हम देंगे। और अगर काम नहीं देंगे तो काम के बदले रोज़गार भत्ता देंगे। लेकिन वह सरकार विफल हो गई, नहीं कर सकी। इसी के लिए तो यह इच्छा शक्ति का अभाव है। किसानों के लिए कहा कि उनको हम कर्जा माफ करेंगे। कुछ प्रांतीय सरकारों ने किया, लेकिन बाकी सरकारें असफल हो गई। यह नहीं किया। यह इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर हमने इस धारा के ऊपर विचार करके इसको क्रियान्वित किया होता तथा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, आवश्यक शिक्षा, 14 साल तक के बच्चों को दी होती और यह प्रावधान किया होता तो फिर ये बच्चे क्यों कबाड़ इकट्ठा करते? अभी मैं दाद देता हूं इस वर्तमान सरकार को कि थोड़ा सा कदम इन्होंने उठाया है, क्योंकि बच्चे मायने लड़के-लड़की दोनों, अब इन्होंने कदम उठाया है कि बी०ए० तक की एजुकेशन, लड़कियों को निःशुल्क देंगे। लेकिन इंप्लीमेंटेशन के अभाव में यह अपने में पूरा कदम नहीं है। इसके अलावा संविधान की धारा 51-ए, यह पहली ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान के प्रावधानों का पालन करेंगे, तब The Government is duty-bound to obey the Constitution. This is a provision of the Constitution that we should endeavour hard to give free and compulsory education to children up to the age-group of 14 years. We have failed in our duty. We are not abiding by the Constitution. इस पर कोई विचार करता है? ये सारे हम मगरमच्छ के आंसू बहा देते हैं और खुद हम उसके उलट करते हैं। मैं अधिक न कह करके, उपसभाध्यक्ष महोदया, यह देश हित का प्रश्न है, यह बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, खास तौर से जब इस देश में सेलरीड एमप्लायमेंट के एवेन्यूज़ बहुत कम हैं, नौकरी मिलेगी नहीं, इसके अलावा वेज एंप्लायमेंट के भी एवेन्यू बहुत कम हैं, क्योंकि सारे कल-कारखाने अब कंप्यूटर और मशीन से चलेंगे, एक सैल्फ-एंप्लायमेंट बचा है, वह मिलेगा काम से और सेल्फ एंप्लायमेंट छोटे काम, कुटीर और लघु उद्योग धंधों से मिलेंगे लेकिन आज उनको बड़े उद्योग खा रहे हैं। इसलिए उस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि इन बच्चों को काम कहां से मिल सकता है। इसलिए हम कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों की रक्षा करें और एक डिमारकेट लाइन हम खड़ी करें कि बड़े और मझले उद्योग इन कामों को नहीं करेंगे। तीसरी और आखिरी बात शिक्षा है। To my mind, one is 'taught' education and the other 'bought' education. टॉट एजुकेशन है सरकारी स्कूलों की शिक्षा और सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़ाने नहीं जाते और पढ़ाते हैं तो वह शिक्षा अर्थहीन हो गई है। उसे पढ़कर कंपीटीशन में बाबू भी नहीं बन सकते हैं। उनकी जगह ये सारे पब्लिक स्कूल और मांटेसरी स्कूल लेते जा रहे हैं लेकिन इनकी शिक्षा इतनी कीमती है कि इसे खरीद नहीं सकते। इसलिए अब गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं सकते और यह भी एक प्रश्नचिन्ह है। Let there be a provision for free, compulsory and uni form education to all citizens of the country. अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हम चिंतित हैं और हमारी नीयत साफ है, इन घड़ियाली आंसुओं को बहाने से कोई फायदा नहीं, अहमद पटेल साहब आपकी नीयत पर मुझे शक नहीं, लेकिन 40-45 साल तक आपकी पार्टी सत्ता में रही है कभी इस विषय में आपने सोचा, हमें तो थोड़ा ही मौका मिला है। यह

एक जरा सी शुरुआत है। अगर आप साथ दें जैसा आप कह रहे हैं तो,

"इब्तदा-ए-इश्क है, रोता है क्या,
आगे-आगे देखिए होता है क्या।"

तो आप मौका दीजिए, हम काम करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं श्री अहमद पटेल जी के इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, I rise to support the Bill moved by Shri Ahmed Patel. This is not a problem that has been created after independence. This has been a longstanding problem in our country. Madam, the origin of the problem is in the *Varanashram Dharma... (Interruptions).*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI MANEKA GANDHI): Sorry Madam, would you please tell me how many Members are there to speak on this Bill because I have another Bill in Lok Sabha at 3.30 p.m.?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): There are three more Members now. ...*(Interruptions)*...

SMT. MANEKA GANDHI: I will just go there and come back.

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIA): I am here. I will take care. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: The *Varnashram Dharma* has prohibited more than 95 per cent of our population from studying for centuries together. That was prevailing for the last 20 centuries. That is the root cause of it. We are discussing about many modern ideas but the problem of illiteracy in India is totally different from the problem which is prevailing in other countries. Therefore, we have to go into the root cause of this problem. I will come to that later on.

Recently, the UNICEF has said that children are actually human investment. If any Government or country wants to have some long term policy, then they must think of their children as human investment and human capital formation. This UNICEF concept had actually been approved by the United Nations General Assembly in the year 1979 by declaring the year 1979 as the International Year of the Child. The United Nations General Assembly in that declaration requested all its member-countries to review the programmes for the well-being of the children according to each country's conditions, needs and priorities. In the sense in which these words were used, everybody can infer it according to his own facilities. Madam, children need motherly affection, nourishment, healthy supervision, proper medical care and security. If there is a lacuna in this, then automatically there is malnourishment. Along with this, motherly affection is more important. If they are not able to get it, then automatically they turn into vagabonds.

Madam, every 20 minutes a physically and mentally retarded child is born in our country. It is more or less a black spot on our State. It is a stigma for us. Madam, in our national plan for action, we have accepted the declaration which was passed by the U.N. General Assembly in the year 1979. It states: "A nation's children are its supremely important asset and the nation's future lies in the proper development. Investment in children is indeed an investment in the nation's future. A healthy and educated child of today is an active and intelligent citizen of tomorrow." Then, if you want to have the next generation intelligent, we must see that child-care gets more importance.

Hon. Member Shri Gautam referred to article 45. I wish to refer to article 39(f). As per that article, there are certain principles of policy to be followed by the State. It states: "The State, shall, in particular, direct its policy towards securing that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and the childhood

and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment."

I feel that the Bill brought before this House is in consonance with article 39 of the Constitution of India. Then what is the situation? It is more or less violative of our Constitution. Therefore, we have to concentrate on this. In 1991 population of children from 0-14 in India constituted 37.2%. According to the estimates of World Health Organisation, in 2001 A.D., the population of children in India would be 33% of our total population. Our population is estimated at hundred crores and thirty lakhs in 2001. In this condition we want to go through the problem by studying the real situation. The basic needs of the rural areas constitute 70% of the total income. If our people earn a hundred rupee means more than 70 rupees are to be spent to fulfil their basic needs. It is in between Rs. 60 and Rs. 65 for the urban areas. There is another problem and that is migration of people from rural areas to the urban areas. If it continues, then, if there are ten jobs in urban areas, a hundred people would be coming from the rural areas and automatically wages will come down. When the wages come down, people will be unable to live with respectable status. We have to go in for some checks for the conditions in which people are going to live, in which a child is born and brought up. As a result, after 18 years, the child will become an anti-social element. To prevent anti-social elements we have to see that this type of migration is averted. Keeping that in view, I think, we are dealing here.

We all feel that the allocation to social sector has actually increased. Even though the allocation to social sector has increased in India the number of people below the poverty line has not decreased as we expected.

There are two schools of though According to one school of thought, people living below the poverty line have increased substantially. Let me tell you, the allocation to social sector in 1992 is 24.43% of the total allocation. It increased to 26.76% of the total allocation in 94-95. Whether the poverty has been reduced or not, this is however a subject for debate.

According to an estimate, 30% of our population is not immunised and 70% of the total malnutritioned people around the globe come from India. This is a pathetic situation, even after fifty years of Independence. We have already put 50 years in planning. There is enough allocation and expenditure made. After allocating substantial amount of money why is this situation prevailing? That means, according to one school of thought, even though allocation has been made, the amount is not reaching the people who deserve. That is the main reason.

Madam, some of our Members quoted Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986. I think, even though it is here in India, it excludes child employment in family based occupations. This is another important thing. Free and compulsory education has been accepted not only in article 39 but also in the National Policy for Children, NPC.

For example, I would like to quote an article written by Sudhakar and A.G. Bose. It says, "*Per capita* expenditure on the social and community services increased in the Northern, Southern, Eastern, Western and Central regions from Rs.286.45, Rs.205.44, Rs.142.77, Rs.329.40 and Rs.133.90 to Rs.307.37, Rs.234.88, Rs.153.52, Rs.381.73 and Rs. 143.17, indicating an increase of 7.30 per cent, 14.33 per cent, 7.53 per cent, 15.89 per cent and 6.9 per cent respectively." These are the figures for pre-reforms and post-reforms period. This clearly shows that the allocation has incresed substantially in the post-reforms period. In spite of all this, there is a mushroom growth of this problem. This problem is increasing every year. This problem will not be solved alone by a legislation. All parties have to sit together and find out the

reasons. Some of the reasons are obvious. As I told in the beginning of my speech, Varnadharma problem was the main problem. Four centuries ago a foreigner came to India and visited Madurai. He stated that ten thousand students were studying at Madurai and all those students wre Brahmins. Non-Brahmins were prohibited from studying. So, this was the condition in India. Only recently due to the efforts of some reformers like Periyar, Phule and several others a little bit development was made in the field of education. In spite of this development, our forefathers could not study that much as we have studied. At the same time, I feel that even though there is universalisation of education, some of the parents are not able to spend money on the education of their children. ...(Time-bell rings)... Some people are not able to spend money on the education of their children because their other needs themselves consume more than 70 per cent of their income. In some of the families male members are not able to save money for the primary education of their children. When they are not able to do so, the question of higher education of the children is not possible at all. Even the primary education is in question. Why is it in question? Some people are liquor-addict. Suppose a father is a drug-addict and the mother is a housewife, then there is no other earning member in the family and the boy whether he is willing or not is forced to come on the street. Then he automatically becomes a vagabond. So, this is the situation which we have to rectify. We have to see as to what is the solution to this problem. Madam, I feel that in the last five decades we have failed in our land reforms totally. The process of land reforms has to be revamped. If land reforms are properly done, at least, people will be able to get some employment. The economy will go up. I feel that if this is done, people will be able to send their chidren to school. Another thing which I would say is that in the last five decades we have not been able to frame a National Wage Policy. If a National Wage Policy is framed, the people who are working in the urban and rural areas will get the remuneration for the energy which they are spending from morning to evening. Then we have to bridge the gap between rich and poor. This gap has to be bridged. It has been widening day by day. If we are not able to do this, the same situation will continue. This will be a ritual. Next year someone would bring a Bill and some Members might speak on it. But, the problem is not going to be solved. If we are not able to solve this problem and we just continue to concentrate on high productivity, high technology, sophisticated technology, then....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please conclude.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I am concluding, Madam. I will take only two minutes more....*(Interruptions)*... What I feel is that all this will lead to an increase in the number of jobless people. This will increase the GDP, but, the same, will increase the jobless growth also.

The jobless growth will further accentuate the increase in vagabonds. Therefore, I feel, unless and otherwise we find out real causes for this, we cannot close down this issue. Madam, as far as, we, in Tamil Nadu are concerned, we are doing something. If a woman is poor Tamil Nadu Govt. is giving Rs. 10,000 for marriage; if a lady is pregnant, we are giving Rs. 500 so that she can spend on nutritious food; if a girl-child is born, we are giving money; at the time of children going to school, we are giving free education, free dress, free books and free transportation. Everything is being done for primary education. Therefore, if it is followed by other States, if it is implemented with sincerity, we can solve this problem. Otherwise, it will remain as it is even after a decade. After a decade, some one will come to the House and talk on the same subject. With these words, I conclude. Thank you.

SHRI RANGANATH MISRA (Orissa): Madam, Vice-Chairperson, I rise with a heavy heart on account of the fact that for three years I was in the Human Rights Commission and handled the problem of children. In 1950, we gave a national commitment to our children that we shall not make them work and shall put them to school upto the age of 14 years. Children are not able to look after themselves. They have no labour unions, they cannot have trade unions nor can they ask for their rights to be enforced. That is why society is the protector of children and as a common law court is the protector of children, court is the guardian of every child. That is the law. Therefore, that we have betrayed the children during these fifty years goes undisputed. We gave them a commitment and we have failed to sustain that commitment. We have provided in Article 24 of the Constitution that the children shall not work and in Article 45 we provided that upto 14 years of age we shall put you to school. Neither has worked. All this has been decided to be done in ten years. We have said that by 1960 all this will work out. There were many other things where time-bound programmes indicated in the Constitution, and because it suits politicians, you have changed the age. Madam, we have extended the ten-year reservation upto fifty years. But, you never attended to that article where ten-year period was put in and it was said that if it is not done in ten years, a national review will take place to make it twenty or make it thirty so that national attention will be devoted to the matter. It is a neglected sector of society. Society gets disrupted by children not being attended to. Today, in 101 ways, you are finding children are a problem to society on account of the fact that you have not looked after them properly, they have not been nourished, they have not been trained and they have not been put into a channel of education as they deserve. One wrong child can destroy the society in future. In fact, if you analyse their lives and history of those people who have destroyed the society, you will find that they were all un-attended or wrongly-attended children, who had mental difficulties, who had not been able to adjust themselves properly and who had not understood the society in an appropriate way and therefore, they caused this dislocation. It is our duty, it is our obligation to ensure that every child receives proper attention, attention that is due to it so that the child will mainfest the best that is inside him. Education really means to bring about the potentiality in every child to the best form. That is education. Lack of education, depriving children from education has created this problem. Child labour exists in this country in various forms. Somewhere it exists on account of the fact that the parents want the child to be the bread-earner. When I was in the Court, children from Banaras, Badhoi and Mirzapur districts, where you have carpet industry, came before the court in some case. We put in two Magistrates to prosecute the employers who were employing children. I verified. In 100 cases, at the end of the year, every case ended in acquittal because the guardian came to the court as a defence witness to say that my child does not work anywhere.

The court indicated in a brief judgement that two people came from the Government side, the prosecution side, one was the inspector and the other was an outsider. The guardian himself is coming up to say that his child does not work. I accepted that evidence in preference to the evidence of the other people, and nothing happened out of it. In the Commission we went to the South to find out about *bidi* making. *Bidi* is made at home and not in factories. Everything is taken away from factories to homes, a quota is given and price is paid.

We went to Firozabad where glass industry is there. Children from the age of six are employed there. Every morning if you go to the marked place around 3.30—4.00 a.m., children are auctioned for the day. They work in a temperature which is about 115^0 C to 120 ^{0}C. It takes six months for the skin to become dark. It takes about a year to become half-

blind. It takes about three years to turn blind. This is the type of employment that is going on. We went there to find out whether this type of labour could be stopped. Gas was introduced as a substitute to other type of heating so that it could control heating. But, that is no answer. Nothing is an answer until the nation understands that whatever be the investment, it has got to be done. You have no right to live in a society where children who are the future of the nation are not attended to. This must be realised. But, to say that you do not have funds, is no answer. Either we all live or we all do not live. The stage must come to that. We have been betraying our children for fifty years. One who was born in 1947, the year of independence, or in 1950, the year of adoption of our Constitution, would have become 50 years old now. He must be seeing that he has grown unattended all these fifty years. If he looks back, what does he see? He sees that we have not extended any assistance to him. We have not kept our commitment. We have reached a situation of this type. This is not a problem which could be attended to piecemeal. This is also not a problem which can be attended to by any particular Ministry. For the last 3-4 years, the Human Rights Commission has been working on this. But even all efforts are not really fetching any fruits for the children. I am happy that Mr. Patel has brought forth a Bill which has created this discussion. But, discussions take place and they end. There is no follow up. Until and unless we are really serious, nothing can be achieved. The Planning Commission must see to it. I have gone to the Planning Commission for more than half-a-dozen times to impress upon the Deputy Chairman that something concrete must be done. We have gone to universities, we have gone to employers' places, but nothing happened.

We went to Sivakasi, where a lot of children are employed and some deaths have taken place. We had given them notice from the Human Rights Commission that we are visiting. So, they declared that day as a weekly holiday. They changed the shift of the day and made it a holiday, so that there will be no work to be seen. But, apart from that, we are really discussing the Bill introduced by Mr. Patel. I say that the national policy for children, which we have declared, is only on paper. Nothing has happened. Our priorities in 1950 were wrongly directed. Children should have been a primary issue and should have been in the focus of the nation. Therefore, I appeal to my colleagues, to the friends in the other House, to the Government and to the entire nation that we must do something step by step which should be concrete. We must evolve a policy which would show that it is being answered and that there is a real positive improvement in the lot of the children from period to period. I agree that the number is increasing. It is one-third of our population, and one-third of our population cannot be attended to within the limits of the budget that is provided to us. From where shall we find the money? There is no answer to the problem. If you want to live and you live in a different society and in a different situation, you have got to find out your resources. If resources are available for other things, then they should be turned over to this, to be first attended because this is the primary issue which requires attention, the nation must understand this. A warning should be administered to the nation that we have cheated the people for 50 years. No more cheating should be permitted. I have talked to people who have grown in independent India, 1945—50 like that. They are in different avocations. I asked them, how do you feel? Each one had answered saying, 'Well, we have been cheated.' I have a record—from the Human Rights Commission—if you want, I will bring it and produce it sometime. We met about 3000 people, who lived in independent India, bron in independent India and lived in independent India. About 97 per cent of the persons we recorded said, we have been cheated without attention. The constitutional

promise has not been kept for us, is the answer. If that be the feeling, how do you think that they will live as normal men or women in society. I support the Bill. But, I suggest, let it be not an independent Bill, let it form part of the existing legislation. That would be more convenient. Law made is not important.

In Delhi there is a children's home. I visited it because a persons was killed in the children's home. When I went there, first of all, I found about a million flies where food is cooked for children. Then we found that the water was absolutely dirty, nasty and smelling. And that is the drinking water provided to the children. We found that there were two attendants. One attendant was not on leave, but was absent for about 20 days and the other attendant was sick and was not there. The children were made to cook, they were made to clean, and the children are employed. The employment which we are trying to prohibit outside, they are being employed inside the children's home. They are doing the same work which they are not allowed, supposed to do. When we notified this to the Delhi Administration, they came forward and said that we will revive and reform. Well, everything is a promise. So, regarding the Bill that is under consideration, I suggest that the Government may be asked to handle it and bring about a little more comprehensive legislation in place of the 1986 Act. There are a lot of flaws and the experience of these 10 to 12 years shows that it is not a complete answer to the problems the society is facing in regard to children. It is said that children are the nearest to God and that children are innocent. If you groom them properly they would be decent citizens. And if you are not able to groom them in time, probably, they refuse to be susceptible to anything that you do at a later time. Therefore, in good time this issue must be taken up. In good time all of us must devote attention. It is a national issue. It has nothing to do with politics and nothing to do with one Government or another Government. Therefore, the policy that we have fixed up for children should continue in spite of changes in Government. The full attention of the entire nation should be devoted to the cause of children, so that tomorrow may be a better society, with good people living in that society, today's children going to become excellent citizens of tomorrow. Thank you, Madam.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): I can say that this Bill is not a comprehensive Bill. It deals with two categories of children. One category of children are those who have a family and the other category are the orphans and the homeless. These children's societies will not stop with this. It also refers to two types of persons, one the ragpickers and the other vagabonds. Many more categories have to be brought within this ambit.

Now, Madam, for all these things, only poverty is the reason. It is suggested in this Bill that some financial assistance has to be given to the parents and if the parents do not send their children to school, it should be stopped. I think this will not solve the problem at all. The Government must take steps to see that the children are given all the facilities — education, food, dress, shelter; everything.

Madam, several orphanage homes are being run by private parties, private trustees, and they are getting aid from the Government. Some of them are getting aid from foreign countries also. To my knowledge, the funds which they are getting by way of grant are being misused. As our learned Member, Shri Ranganath Misra, has said, even though these institutions are getting assistance from the Government and other agencies, it is not being spent properly for the welfare of the children. Therefore, in the case of institutions getting aid from the Government and foreign agencies, there should be a monitoring body to find out whether the funds are being properly spent or not.

The Government's responsibility does not stop with just giving the assistance. The Government itself must come forward to run institutions of its own. As a matter of fact, to the institutions which are being run for the orphans and homeless children, the Government should provide all the facilities — education and other facilities. In the case of children in some families, they are being spoiled by their parents. As has been said rightly, the poverty of the family makes the children take up odd jobs to earn something for the subsistence of the family. Action should be taken against such families. Madam, when I was the Managing Director of the Textbook Society, I was vested with the power of providing textbooks and other education materials to children. I found that in spite of the assistance being given to them, the parents were not sending their children to school. I suggested that such parents who were not sending their children to school should be punished. What happens is that these families make the children go for work for their livelihood. Not only that, as has been said rightly, the children are sent to work by parents who are addicted to drinks. This is also happening. Children are being misused in this way. Therefore, I would suggest that there should be a penal clause to punish such parents who misuse their children.

I would like to point out here what we had done in Tamil Nadu. We are proud of that. As Mr. Viduthalai Virumbi said, during the time of the late MGR, a separate body was set up, headed by a Managing Director. Crores of rupees were given to this body to look after the welfare of children, by providing books, slates, chalkpieces, dress and everything. I would say that such a thing should be adopted throughout India. Education must be made compulsory up to a particular stage.

[4.00 P.M.]

Say, for example, up to the 8th standard or the 10th standard, education must be made compulsory, for which the Government must commit itself to do all these things. Mere making promises is not sufficient. As a matter of fact, all these things must be given. Shelter should be given. Books, writing materials, dress and other relevant articles and mid-day meals should be provided by the Government free of cost. As a matter of fact, the Tamil Nadu Government is following it up. If you are interested in the welfare of the children, the same pattern should be followed by all the State Governments throughout India.

With this, I conclude my speech, Madam.

DR. M. N. DAS (Orissa): Respected Madam Vice-Chair person, I will speak only a few words on the subject.

We in India have found one of the easiest ways to atone for our sins. The way to atone for our sins is to shed tears. As far as my knowledge goes, for about a whole century, as individuals and as a nation, we have been shedding tears over the distress, misfortune and misery of our children, young boys and girls on the roads of almost every village, and streets of every town and every metropolitan city.

I am reminded of Gopalakrishna Gokhale. Gopalakrishna Gokhle, one day early in the century, was going to a temple to pray to god or goddess for something. When he was about to enter the temple, at the gate of the temple he saw two little children, a boy and a girl, perhaps brother and sister, begging for one paisa. Gokhale put his palm inside his pocket and found one silver rupee. He did not feel the sympathy to pay that coin to those two destitute children. But, when he entered into the temple and put that coin into a pot before the priest and bowed down before the god or the goddess, his conscience at once pricked his heart. His conscience cried, "You are putting the coin before the stone idol, but you have no sympathy, no feeling, no

mind to pay that coin to the living creatures at the beginning of their lives." Gokhale ran out. He ran and ran all over the steets and lanes to trace out those two children. He could not find them, but he found hundreds of destitute children on the streets.

How did Gokhale atone for the sin? Gokhale blamed the British Government. He felt, "India has turned so poor. Poverty has gone to the abysmal depth because of the British exploitation." Gokhale foresaw that once the British rule ended and India became free, one day India would be one of the most prosperous countries on earth. Why?

The Vice-Chairman (Shri Sanata Bisia in the Chair.

India is full of fertile river valleys. India has immense resources. It has hard working population. It has unlimited mineral resources, untapped by the British.

India would one day become the richest country in the world.

But, poor Gokhale could not calculate one thing. In his time, when he felt sympathy for the poor, for their poverty, for their destitution, the undivided India from the Hindukush to Burma and from the Himalayas to Cape Comorin had a population of around 30 to 33 crores.

The disease has gone to the brain, but we are searching the cause of the disease on the corns of our fingers. There were 30 to 33 crore people during Gokhale's time of undivided India. If he had to come back, he would realise the rise in the number of population. Pakistan had gone out and Bangladesh is also not part of India. What remains of India now contains 100 crore people. That shows there is a population explosion with a huge increase in the number of the destitute children. Bills providing for compulsory education, compulsory meals, shelter etc. for the destitutes are nothing but impracticable propositions. Unless the Government of the day and the leadership of the time, irrespective of party affiliations try to control this population explosion, you cannot protect the poor children from their extreme distress and misery. Whatever discussions you have on the floor of this House, to me they appear nothing but philanthropic propositions serving no useful purpose. They cannot really come to the help of the needy and dying poor. Sir, I have great regard for Shrimati Meneka Gandhi. She has taken up philanthropic issues. She is even thinking of welfare of animals. But, perhaps, human lives are more precious than the lives of other creatures unless, of course, we all are believers injoin philosophy. Kindly do something to save the destitute boys and girls. Without giving them any opportunity to earn a good livelihood, we are talking of high-sounding provisions in the Bills for giving them education, shelter, meals and so on. Are these provisions going to be practical? I am sorry to say that they are not going to be realistic considerations. The Hon. Home Minister is here. He is incharge of family of the Indian people. Let him think of the destitutes dying everyday in any street corner of the country. Wherever you go, tears will roll down you eyes looking at their misery. We may preach sermons to save India from poverty, but unless we take practical steps to root out the real cause of the disease, we will not be able to solve this problem. We have to take urgent steps before it is too late.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, अहमद भाई पटेल ने जो यह विधेयक रेगपिकर्स एंड अदर वैगाबौंड स्ट्रीट चिल्ड्न (रीहेवलीटेशन एंड वेलफेयर) बिल, 1994, प्रस्तुत किया है, इसके जरिए उन्होंने समाज के ऐसे तबके के बच्चों की तरफ सदन और सदन की इस बहस के जरिए भारत की दृष्टि इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। महोदय, मैं जानती हूं कि प्राइवेट मेंबर्स बिल अमूमन सरकार मानती नहीं है। वह यह कहती है कि हम इसके सारे प्रावधानों के ऊपर विचार करेंगे और इस बारे में एक समुचित विधेयक लायेंगे, इसलिए इसको वापस ले लें और मेंबर अपने प्राइवेट बिल को वापस ले लेता है। यह एक सच्चाई है। लेकिन विषय उठाना बहुत आवश्यक था।

आफ्टर आल, किन बच्चों को इस तरह के काम करने के लिए, रैग-पिकिंग और गंदे काम करने के लिए भेजा जाता है और क्यों भेजा जाता है। खुशी खुशी कोई मां-बाप अपने बच्चों को इस तरह का काम करने के लिए नहीं भेजता। मां-बाप मजबूरी में भेजते है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनको जीने के लिए, कुछ करने के लिए यह काम आसान लगता है। इस तरह का काम कराने वाले ऐसे लोग भी है जो इस धंधे में बच्चों को लगाते हैं। दूसरा इसका कारण यह है कि जैसे कि माननीय सदस्य विरूम्बी जी ने ध्यान आकर्षित किया है शहर का जीवन गांव वालों को बहुत रोचक जीवन लगता है। आज कल प्रचार के माध्यम से टेलीविज़न और दूसरे माध्यमों से शहर के जीवन को इस ढंग से दिखाया जाता है कि शहर जाएं तो सब दुख-दर्द दूर हो जाएंगे और बड़े पैमाने पर लोग शहरों पर चले आते हैं। वह काम की खोज में शहरों में आते हैं लेकिन उनको जब कोई काम नहीं मिलता है तो यहां पर झुग्गी-झोंपड़ियों का अम्बार लग जाता है जिसमें रहने की जगह तो इतनी कम होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इन्सान किस ढंग से रह सकता है, यह बात तो झुग्गी झोंपड़ी कालोनी में जा कर देखने के बाद ही पता चलती है। यह पता चलता है कि किस तरह का नारकीय जीवन यह लोग जीते है। हज़ारों लाखों की संख्या में दिल्ली शहर में जे०जे० कॉलोनीज़ में झुग्गियां है। आप वहां चले जाएं और देखें कि किस ढंग से लोग रहते हैं। अभी पिछले दिनों गोविन्दपुरी में झुग्गियों में आग लगी थी, मैं वहां देखने के लिए गई थी। यह सामने जितनी बड़ी मेज़ रखी है, इतनी जगह में पांच लोगों की फेमली रहती है। आग में तीन बच्चे जल कर मर गए, मां छाती पीट-पीट कर रो रही थी। ऐसी हालत में लोग रहते हैं। उनके बच्चों के बारे में यहां उपदेश देना कि यह करना चाहिये, वह करना चाहिये, बहुत आसान है लेकिन कुछ काम करना भी शुरू करना चाहिये। सरकार को करना ही चाहिये क्योंकि सरकार आखिरकार देश चलाती है। सरकार के लिए यह बाध्यता भी है। लेकिन जब तक हम बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ेंगे, केवल ऊपर से इलाज करने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए सही बात है कि शहरों में जो लोग आते हैं, उनको रोकने के लिए कुछ करना चाहिये। ग्रामीण अंचलों में भूमि समस्या है, इसके निदान के साथ-साथ छोटे और मध्यम कृषिजनित उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये, तब कुछ बन बात सकती है। लोग शहरों की ओर दौड़ेंगे नहीं। उनको काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा और गांव में ही रहेंगे, छोटे छोटे कस्बों में रहेंगे। दूसरा है फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन। एजुकेशन फ्री हो तो उससे भी बात नहीं बनती है लेकिन इसके साथ-साथ एजुकेशन को कम्पलसरी करें अर्थात् मां-बाप बच्चों को स्कूल, नहीं भेजते तो उनको सज़ा होनी चाहिये या जो उनके गार्जियन है, उनको सज़ा होनी चाहिये। यह भी सरकार को करना चाहिये। होता यह है कि हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में एक बीमारी हो तो हम उसका निदान ढूंढें। हम जानते है कि भारतवर्ष खास कर के उत्तर भारत में नारकोटिक ड्रग्स का कंड्यूट है। हमारे देश की सरहद के साथ जुड़े हुए जो देश हैं, उसमें से आता है, मणिपुर होते हुए जाता है गोल्डन क्रिसेंट जिसको कहते हैं उन देशों में। इसका शिकार छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। जो अच्छे भले घर के हैं, स्कूल जाते हैं, वह बच्चे भी और समाज के बिल्कुल दलित और नीचे के तबके के बच्चे हैं जो बेसहारा बच्चे हैं, जिनके बारे में इस विधेयक में बात की गई है, वह भी नशे का शिकार होंगे और नशे के साथ जुड़े हुए जितने क्राइम हैं, जितने गलत काम हैं, वह सब गलत कामों में पड़ जाते हैं। इसमें आधी संख्या लड़कियों की हैं जिन्हें हम गर्ल चाइल्ड कहते हैं। सात-आठ साल की उम्र होते होते उनका शारीरिक शोषण शुरू हो जाता है। जब बड़ी होती हैं तो उनके लिए केवल एक ही स्थान रह जाता है, वह हैं वैशालय। 20-25 साल की होते होते तरह तरह की जघन्य बीमारियों का शिकार हो कर वह मरने लगती है। समाज की आधी आबादी औरतों की है। जो रैग-पिकिंग करने वाले बच्चे हैं इसमें आधी संख्या लड़कियों की होगी। इस प्रकार की स्थिति है। क्या इसका कोई उपाय आपके सामने हैं? क्या कुछ गम्भीर हो कर इसके बारे में सोचेंगे? एक इसके साथ साथ और जुड़ी हुई बात आती है। जीवन में हम इसको कहते हैं सर्वाइवल आफ द फिटेस्ट। जो जीवन के संघर्ष में जी सकता है सरवाइव कर सकता है वही जीता है। यह हर एक जगह में, हर एक स्ट्राटा में देखने को मिलता है। नीचे जब हम जाते हैं रेग पिकर्स और समाज के इस तरह के बच्चों के बारे में जो अहमद भाई जी ने कहा, इनके साथ भी यही है। सरवाइव करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे उनको बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं और धीरे-धीरे वे क्राइम में भी चले जाते हैं। आज जो हिंदुस्तान का क्राइम इतना बढ़ गया है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज का अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं निभाने के कारण भी है। इस क्राइम सिचुएशन से उसको हम बाहर कैसे निकालेंगे? जस्टिस मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा था कि जिन बच्चों की ओर हमने ध्यान नहीं दिया वे सियाने होकर क्रिमिनल वर्ल्ड के डान कहलाए। उन्होंने कभी माफ नहीं किया भारतवर्ष को, इसकी आजादी को, इसके नेताओं को। न उनकी आने

वाली पीढ़ियां कभी माफ करेंगी। तो किस तरह के देश की हम रचना कर रहे हैं—

What kind of a country are we going to be?

भारतवर्ष को अगर सही मायने में एक स्वतंत्र देश, सम्मानजनक देश बनाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल कानून के जरिए यह संभव नहीं है। हर सचेतन व्यक्ति जब तक यह नहीं सोचेगा कि मेरी भी कोई जिम्मेदारी है कुछ दुखदर्द को बांटने की, कुछ समाज के काम में रुचि दिखाने की तब तक फिर बात नहीं बन सकती है। महोदया, मैं सिर्फ अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बता कर अपनी बात को समाप्त करूंगी।

मैं 1967 के दिनों की बात कर रही हूं। मैं सोशलिस्ट पार्टी के यूथ विंग की अध्यक्ष थी। समाजवादी युवक सभा की मैं नेशनल प्रेजीडेंट थी। हम लोगों ने पटना शहर में एक संस्था शुरू की—अपने दफ्तर के बाहर मैदान था उसमें। उसका हम लोगों ने सर्वहारा विश्वविद्यालय नाम दे दिया। इसी तरह के स्ट्रीट अर्चिन्स जिनको हम कहते हैं उनको इकट्ठा करके शाम के वक्त पांच या साढ़े पांच बजे, हमारे जो सदस्य थे जो कालेज के स्टुडेंट थे वे पढ़ाया करते थे। जो बिल्कुल अनपढ़ थे उनको कोई भी बैठकर क, ख, ग सिखाता था। उससे जो थोड़े ऊंचे थे, 2-3 दर्जे तक पढ़े हुए थे उनको थोड़ा बड़े लोग पढ़ाते थे। यह विद्यालय हमने इमरजेंसी लागू होने तक चलाया। मुझे खुशी है कहने में कि उस समय एक विद्यार्थी, लड़का आया जो पाकेटमार था, 7 साल का बच्चा था। दिलीप नाम था उसका। हमारे सारे साथियों ने कहा कि इसको मत लीजिए यह तो पाकेटमार है। मैंने कहा कि कोई जन्म से चोर या पाकेटमार नहीं बनता। उसका हमने दाखिला कराया। हमारा एक सांस्कृतिक पक्ष भी था। गाना-बजाना भी हम सिखाते थे। धीरे-धीरे हमने यह पाया कि वह बच्चा संगीत के हर तरह के वाद्य यंत्र को बजाना सीख गया। उसका गला भी बहुत बढ़िया था। बाद में उसने मैट्रिक पास किया। फिर अपने से पढ़कर कालेज में गया। मैंने कहा था अब ट्यूशन करके पढ़ो। वह लड़का ग्रेजुएट हो गया और बिहार सरकार में पी०आर०डी०ए० में आज अफसर है। मैं कभी-कभी जाती हूं तो मुझसे मिलने आता है। बहुत खुशी होती है उससे मिलकर। इस तरह से कई बच्चे ऐसे हुए। जब इमरजेंसी लग गयी तो हम लोग जेल चले गए। हमारा विद्यालय खत्म हो गया। इमरजेंसी के बाद जब लौटकर आए तो बात दूसरी थी। सरकार बदल गयी, माहोल बदल गया। फिर हमने कुछ नहीं किया।

मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथियों में से कुछ लोग अगर इस तरह का प्रयास करें तो बातें बन सकती हैं। हो सकता है छोटी-सी बात हो यह। लेकिन हर छोटी बात मिलकर बड़ी बात बन सकती है। तो सामाजिक प्रतिबद्धता हमारी कितनी है और सरकार की कितनी है? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह से मिलकर हम समाज का परिवर्तन कर सकते हैं और समाज के उपेक्षित वर्ग के बारे में हम कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में अहमद भाई पटेल जी ने ध्यान दिलाया है और कुछ करना भी चाहिए। यह हमारा नेशनल कंपलशन एण्ड नेशनल ड्यूटी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि मंत्री जी अवश्य यह कहेंगी अपने जवाब में कि हमने बहुत ध्यान से सुना और मैं सहमत हूं लेकिन मेरी विवशता है आप वापस ले लें तथा हम एक समेकित विधेयक लाएंगे। यह मैं जानती हूं। These are patent answers. यह तो होगा ही लेकिन फिर भी सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री गया सिंह (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मैडम कमला सिन्हा जी से पूर्ण सहमत हूं। इस संबंध में मैं दो-तीन बातों की चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि यह विषय ही इतना गंभीर है और हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में कई क्षेत्रों में विकास हुआ है लेकिन आज जिस तेजी के साथ शहर में या छोटे-छोटे जो देहात के भी शहर हैं, वहां इस तरह के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और चूंकि उनको साधन नहीं है, उनको शिक्षा की ट्रेनिंग के पर्याप्त साधन नहीं हैं या उनके परिवार को साधन नहीं हैं, तो यह संख्या बढ़ती जा रही है और यह दूसरे रूप में समाज में विकृतियां पैदा हो रही हैं। मैडम ने चर्चा की कि आज बड़े पैमाने पर लड़कियां दूसरे पेशे में जा रही हैं और बच्चे भी दूसरे पेशे में जा रहे हैं। यह ठीक है कि स्व० संजय गांधी जी ने पांच सूत्री प्रोग्राम चलाया था और उसका यह कारण भी आज है, हम देख रहे हैं कि हमारी आबादी जिस तेजी के साथ बढ़ रही है उस पर रोक लगाने का तो अभी तक कोई नुस्खा निकला नहीं है, एक निकला, उसको लोगों ने माना नहीं। लेकिन आज जो शहर में, आप दिल्ली शहर को ले लीजिए, बड़े पैमाने पर गांव से भाग कर लोग शहर में आए हैं, वे झोंपड़ियों में रहते हैं। वे रोज़ी करने आए और उनको रोज़ी भी मिलती नहीं है, लेकिन बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। उन बच्चों के लिए उनके पास खिलाने को भी नहीं है, रहने को भी नहीं है और दवाई आदि को भी नहीं है।

वे उन्हें रोड पर छोड़ रहे है और कई तरह की चीज़ों में इन्वाल्व हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी आज क्राइम कर रहे हैं। आज अगर यह बिल इस हाउस में सरकार के सामने है तो सिंपली अगर सरकार कोई जवाब देकर इसको टाल देती है, तो जिस ढंग से आज प्रधान मंत्री जी देश की सुरक्षा के लिए अणुबम की बात कर रहे थे, तो यह हमारे समाज को तोड़ने वाला अणुबम पैदा हो रहा है। इसलिए ये जो छोटे-छोटे बच्चे आज गरीब के बच्चे, जो रोड पर इधर-उधर घूम रहे हैं, कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं, यह इतना विस्फोटक अणुबम है कि यह जो नई सरकार है इसने अगर इस विस्फोटक अणुबम के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो यह समाज को बाहरी सुरक्षा की गारंटी चाहे आप करते रहिए, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा पर आज नहीं तो कल खतरा आने वाला है। देश की एकता और अखंडता के लिए भी यह जरूरी है। ये जो बच्चे आज बड़े होकर दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं और समाज में विकृतियां पैदा कर रहे हैं अगर इस पर रोक नहीं लगाया और सरकार साधन न होने का बहाना बनाती है, सवेरे क्वेश्चन ऑवर में भी सरकार की ओर से कह दिया गया कि एक लाख पच्चीस हजार करोड़ न यह आएगा और न हम बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और उनका सर्वांगीण विकास कर पायेंगे। यह तो बात ठीक है, लेकिन आज जो यह देश पर खतरा है, आप 5-5 परीक्षण कर लेते हैं और अपने बजट में उसका प्रावधान पढ़ाते जा रहे हैं और इसलिए बढ़ाते जा रहे हैं कि वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन राष्ट्र की अंदरूनी सुरक्षा जो आज तो खतरे में नहीं, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जो पैदा होगी, आज से अगर उसका लांग टर्म प्लानिंग नहीं होगा, उसके लिए योजना नहीं बनेगी तो हम समझते हैं कि देश खतरे में पड़ सकता है और देश की एकता और अखंडता को हम भविष्य में सुरक्षित रखने के काबिल नहीं रह जायेंगे, क्योंकि इनकी तादाद बढ़ रही है। इसलिए मैंने स्व० संजय गांधी जी को याद किया। उनकी किसी चीज़ से हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन इस ओर जो उनकी सोच थी कि इस देश की आबादी को हम कम करते हुए ही आगे जा सकते हैं, इससे मतभेद नहीं हो सकता। हम शिक्षा नहीं दे सकते, 5-5, 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, साधन नहीं है तो एक तो उस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरे, जो बच्चे हैं उनको किसी न किसी रूप में, जैसा इन्होंने चर्चा किया कि स्कूल चलाकर और वह बच्चा जो पाकेटमार था, वह पढ़-लिखकर आज आफिसर बन गया, तो ये समाज के होनहार हैं। बच्चा ही देश है, बच्चा ही कल का नेशन है। उसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री आर० एन० आर्य (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा का विषय है, यह बड़ा गंभीर है। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर किसी देश को दस साल आगे की दूरदृष्टि से देखना चाहते हैं तो उस देश के मैदानों में खेलने वाले बच्चों को देख लें। उस देश के बच्चे क्या खेल रहे हैं, उस से उस मुल्क की दस साल आगे की तस्वीर दिखाई देगी। वे सड़कों पर क्या खेल रहे है, मैदानों में क्या खेल रहे हैं? महोदय, आज पोजीशन यह है कि बच्चों के लिए खेलने की जगह ही नहीं है। पर जब पॉकिटमार और दूसरी बुराइयां आईं तो हमें अपने देश की स्थिति को देखना होगा, समाज की परिस्थितियों को समझना होगा। महोदय, शिक्षा के ऊपर हमारे महान मनीषियों ने बहुत चिंतन किया है। चाहे वह कबीर रहे हों, चाहे संत रविदास हों, चाहे और कोई हों, शिक्षा और गुरू के ऊपर उन्होंने हमेशा ध्यान दिया है। हम लोग भी यहां डिस्कसन कर रहे हैं। उस में चाहे बच्चे पैदा करने वालों का दोष हो और उस के लिए दंड देने की बात भी सोचें, लेकिन जो इंसान अपना घर, परिवार छोड़कर गांव से भाग आया हो, उसे उस से बड़ा दंड और क्या चाहिए? आज गांवों से बहुत बड़ा पलायन हो रहा है। 5,76,000 गांवों वाला देश इसी तरह उजड़ता चला गया है। ऐसी स्थिति है कि न उन के लिए रोज़गार है और न ही सुरक्षा। आज "सर्वे गुणा कांचनम् आश्रयंति" वाली कहावत है और हमें सारे गुण पैसे में नजर आ रहे हैं। उपसभाध्यक्ष जी, महान कवि ग्रे ने भी कहा है कि बहुत से फूल उगते हैं और खिलते हैं, लेकिन देखता कोई नहीं है। इसी प्रकार से बहुत से हीरे समुद्र की कोख में चमकते हैं, लेकिन उन्हें देखता कोई नहीं है। आज दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के बहुत से बच्चे अभाव से रोगग्रस्त है, उन के पेरेंट्स रोगग्रस्त हैं। ऐसा ही नहीं है कि उन्हें वे रोटी के लिए भी शहरों में भेज रहे हैं, कभी-कभी दवाई के लिए भी भेजते हैं कि जाओ कुछ कर के आओ। आज इन बालकों के लिए विद्यालयों में प्रवेश नहीं है, पट्टिका लग जाती है कि विद्यालय में प्रवेश नहीं हो सकता। फिर पर्याप्त संख्या में आप के पास विद्यालय नहीं है, शिक्षकों को देने की सोच आप की है नहीं। बच्चों के शैशवकाल के विद्यालयों के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। महोदय, आज दो तरह की शिक्षा चल रही है—एक निशुल्क शिक्षा है, जहां कि शिक्षक नहीं बैठते और दूसरी महंगी शिक्षा है जहां कि गरीब बच्चों का प्रवेश नहीं हो पाता।

यहां बैठे हमारे माननीय सदस्यों को कई बच्चे खेलते दिखाई देते होंगे, लेकिन उन के बारे में जब हम सोचते हैं तो कहते हैं कि यह धोबी का बच्चा है, चमार का बच्चा है, कोरी का बच्चा है या दलित का बच्चा है। हम जातियों के हिसाब से उन की स्थिति को देखते हैं। लेकिन महोदय आज उन के मोहल्लों में विद्यालय नहीं है और विद्यालय बनाने की आप की इच्छा भी नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि एक तो शिक्षा का अभाव है और दूसरे बच्चों की मौलिक समस्या में एक तो कुछ बच्चे औरफेनेन्ड हैं और कुछ मेनेज्ड हैं और दोनों तरह से ये अंधकार के गर्त में जा रहे हैं। ऑफेन्स बच्चों के लिए कहीं-कहीं अनाथालय खोले गए हैं, जबकि मैनेज्ड बच्चों के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, लेकिन अपने देश का परिवेश कैसा है? हमारे सारे कवि सारी महानता के साथ कहते चले गए हैं कि, "गुरू गोविन्द दोनों खड़े, का के लागू पांव" लेकिन आज शिक्षक को वेतन नहीं मिलता है, वह पढ़ाने को तैयार नहीं है और रो रहा है वहीं जो दलित बच्चे हैं, उन के लिए आप के पास कोई योजना नहीं है। महोदय, हमारे यहां कुछ नवोदय विद्यालय चले हैं जिन में कुछ गांव के बच्चे टेलेंट्स के हिसाब से आ गए। उन्हें खुशी हुई। कि चलो, टेलेण्ट के अनुसार हमें मौका मिला है। गांव के बच्चे आए। ऐसा नहीं है कि वह शहर की चकाचौंध देखने के लिए या रेबड़ी खाने के लिए शहर में आए हों। शहर में लोग जीविका के लिए, अपनी रोजी-रोटी के लिए आते हैं। तो वह शरणार्थी हैं, उन्हें हमें देखना पड़ेगा। जब तक बच्चों की मूल समस्या उनके पेरेण्टस की आर्थिक समस्या के साथ नहीं जोड़ी जाती, तब तक सही स्थिति सामने नहीं आती। आज उनके पेरेण्टस की पर कैपिटा इन्कम आप देखिए। हम देख रहे हैं कि आज महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सब्जी आ रही है बीस रुपए किलो और उस बच्चे का पिता 40/- रुपए कमा कर लाता है मजदूरी में। अगर वह सब्जी लेने जाएगा, तो टमाटर खरीद कर ही बैठ जाएगा। कहां से बच्चे की किताबें खरीदेगा? किताबों की हालत यह है कि हर साल सेलेबस बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने अभी देखा कि सारे सेलेबस ही बदल दिए और छापे पड़े रहे हैं बुकसेलर्स पर।

महोदय, एक मिनट में खतम कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि बुक सेलर्स के यहां छापे पड़ रहे हैं और वह छापे पड़ने के बाद पुरानी किताब नहीं बिकेगी। वहां जैसा हम सेलेबस दे रहे हैं, वैसा चलेगा। पहले बच्चों की पुरानी किताबें ले लिया करते थे, ऐसा सिस्टम था और वह किताबें दूसरे बच्चे के काम आती थी। एक किताब बाप ने पढ़ी, चाचा ने पढ़ी, भाई ने पढ़ी। ऐसे बहुत सी किताबें होती थीं, जिन्हे संजोकर रखते थे। अब तो हर साल उनका सेलेबस बदलता है। मैं यह महसूस करता हूं कि हम लोग सच्चाई से अपने भारत के परिवेश को नहीं देखते हैं, हम उसकी परिस्थितियों को समझते हुए भी नजरअंदाज कर जाते हैं। इस पर हमें सोचना होगा।

महोदय, अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अहमद पटेल साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसा विधेयक लाकर हमको भी कम से कम सदन में चर्चा का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): वाइस चेयरमेन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस अहम-तरीन समाजी मसले पर कुछ बोलने का मौका दिया। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूं अहमद पटेल साहब, माननीय सदस्य का भी, जिन्होंने इस मुल्क के समाज के जमीर को झकझोरने का फैसला लिया। यह तजवीजशुदा कानून की शक्ल में जो बिल पेश किया गया है, यह सिर्फ सरकार की तवज्जुह ही नहीं दिला रहा बल्कि पूरी कोम और पूरे समाज में जो एक बीमारी की शक्ल फैला हुआ मसला है जिंदगी का, जिससे हमारी अगली नस्ल खराब हो जाएंगी इसका एक मसला है, उसको ठीक किया जा सकता है इसका एक मसला है, इसकी तरफ सदन की भी तवज्जुह दिलाई है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है।

वाइस चेयरमेन साहब, मैं इस सिलसिले में दो-एक बातें कहना चाहता हूं। यह कोई चाइल्ड लेबर का सवाल नहीं है कि मदोई में बच्चे काम कर रहे हैं या चूड़ी के कारखाने में काम कर रहे हैं या घरों में कुछ बच्चे काम कर रहे हैं या अनआर्गेनाइज्ड लेबर की शक्ल में कहीं काम कर रहे हैं। यहां टारगेट ग्रुप क्या है? यह वह बच्चे भी नहीं हैं, जो हाथ फैलाकर मस्जिद या मन्दिर के सामने दो पैसे लेकर अपनी जीविका चला रहे हों, वह बच्चे भी नहीं हैं जो झोला डालकर बेसहारा होकर स्लम में रहते हैं। इसमें हर वर्ग के बच्चे हैं और ज्यादातर इसमें, जिनको हम शेड्यूल्ड कास्ट के भाई कहते हैं, जिनको हम बैकवर्ड भाई कहते हैं, जिनको हम अल्पसंख्यक भाई कहते हैं, उनके बच्चे हैं, बहुत तादाद में हैं। यह टारगेट ग्रुप है, जिसकी तरफ भाई अहमद पटले साहब ने इशारा किया है। इसमें खुशी की एक बात है, एक लहर है, इसमें एक जज्बा है, इसमें एक किरण है और वह यह कि ऐसे बच्चे झोले में सामान लादकर, चमड़ा, कपड़े, स्लीपर चप्पल जो कारखानों में जाती हैं, लकड़ी का छोटा-मोटा सामान, पुरानी किताबें,

इन सब चीजों को लेकर जाते हैं या जैसा आपने देखा होगा कि जहां गाड़ी खड़ी हो रही हैं, कारें खड़ी हो रही हैं वहां आकर बच्चे कपड़े से उनको पोछ रहे हैं, आपकी कुछ खिदमत कर रहे हैं और बदले में आपसे दो पैसे लेना चाहते हैं। इसलिए यह बच्चे न तो फकीरों की फेहरिस्त में आते हैं, जिसे आप बैन कर रहे है और न ही यह चाइल्ड लेबर की फेहरिस्त में आते हैं, जिनके लिए आपके चाइल्ड लेबर कानून है। जैसा अभी एक माननीय साथी ने कहा था कि इसको फेमिली प्लानिंग से चेक कर दिया जाए, प्रीवेंटिक मेज़र्स की जरूरत है। ...(**व्यधान**)... हमारे साथी संघप्रिय गौतम जी इतफाक से इस वक्त आडवाणी जी से कुछ सलाह-मशविरा कर रहे हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: मेरा आपकी तरफ ध्यान है।

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी: नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान नहीं है। सर, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप इधर ध्यान दें। आपने यह कहा कि फेमिली प्लानिंग की तरफ तवज्जुह हो, तो यह थ्री प्रोंग्ड एफेक्ट चाहता है पूरा यह विधेयक। एक तरफ प्रिवेंटिव मैज़र्स चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि प्रिवेंटिव मैज़र्स होने चाहिए। हम आइंदा अपनी अर्थव्यवस्था ऐसी करें कि जिनके पास आज खाने को एक वक्त नहीं है उनके पास दो वक्त खाने को हो जाए। कुछ ऐसी सूरतेहाल पैदा की जाए कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद घटनी शुरू हो जाए, लेकिन अफसोस है कि आज वह तेज़ी से बढ़ रही है। अमीरों और गरीबों के दरम्यान जो फासला है, वह बढ़ रहा है, हमें सोचना चाहिए कि इसको कैसे कम किया जाए। एक सूरतेहाल तो यह है कि प्रिवेंटिव किया जाए और आज की सूरत को देखा जाए। दूसरी सूरत यह है कि आर्टिकल मौजूद हैं, 39 आर्टिकल, जिसका ज़िक्र किया हमारे दोस्त ने, और एक आर्टिकल 21 है जो राइट टू लीव के बारे में है। जो पैदा हो गए हैं, हम उनके मसले का यहां गौर कर रहे हैं। जो बेसहारा हैं, हम उनके मसले का यहां गौर कर रहे हैं। जो कपड़ा और खराब कागज़ उठा रहे हैं, पुराने कागज़ कारखानों में बेचने के लिए, यह उनका सवाल है। तो हमें यह सोचना है कि हम उन्हें कैसे रोजगार मुहैया करें, कैसे पढ़ाएं-लिखाएं। यह एक सामाजिक मसला है, जिससे पूरे समाज पर सवाल पैदा होता है। हम उनके बारे में एक शेर पढ़कर आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं:—

दुनिया में फिक्रे ना, अदम में अज़ाब है
हर तरह से गरीब की मिट्टी खराब है।।

यह है वह ग्रुप जिसकी तरफ हमारा इशारा है। गुरबत बढ़ती जाएगी, इस तरह बेसहारा लोग घूमते रहेंगे। मुझे कमला जी का वाक्य बहुत पसंद आया कि इसमें दोहरा फैसला लेना होगा। एक तो सरकार कुछ न कुछ करे। सरकार किसके लिए नहीं करती है? जो क़ैदी निकलते हैं उनको सुधारने के लिए आपने जेल बना दी। आपने प्राइमरी स्कूल खोलने शुरू किए। अम्बेडकर जी के नाम पर, दीन दयाल जी के नाम पर स्कूल खुल रहे हैं, शिशु मंदिर खुल रहे हैं, तमाम स्कूल पर खुल रहे हैं। इनको कुछ तालीम की तरफ ले जाया जाए, कुछ तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई जाए और कुछ उनको रैन बसेरों में रखा जाए। यतीम खाने बने हुए हैं, यतीम बच्चे वहां रहते हैं। पहले हमारे समाज में बड़ा चलन था, हिन्दू वर्ग के लोग बड़े यतीम खाने बनाते थे, मुस्लिम वर्ग के लोग भी बनाते थे। मैं कहना चाहता हूं कि उनको सब्सिडी दी जाए। सरकार उनको सब्सिडी क्यों नहीं देती? हजारों हजार बच्चे तमाम यतीम खानों में रहते हैं, बड़ी बुरी हालत में रहते हैं, जिसका ज़िक्र हमारे रंगनाथ मिश्र जी ने किया था, और उनको कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। क्या एक छोटा सा काम नहीं हो सकता? हम जानवरों से, परिन्दों से प्यार कर सकते हैं लेकिन इंसान के बच्चों से, जो हमारी अगली नस्लें हैं, उनसे प्यार नहीं कर सकते? हमें प्यार करना होगा और उनके लिए कुछ न कुछ सरकारी लैवल पर करना होगा। इसके लिए कितना पैसा चाहिए?

मैं आपके माध्यम से तीन-चार बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक मैं यह कहना चाहता हूं कि अब तक जितने हमारे ऑनरेबल मैम्बर बोले हैं, किसी की तरफ से कोई फिगर नहीं आई कि इनकी तादाद कितनी है? इसलिए मैं समाज कल्याण मंत्री जी से, जो कि संजय गांधी जी की एहलिया हैं, उनसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूं कि आप कम से कम इतना तो कर दें कि पूरा मुल्क का एक सर्वे कराएं और पता लगाएं कि स्लम में रहने वाले कितने बच्चे और बच्चियां इस तरह की हैं जिनको टारगेट बनाना है या जिनके इस हालात को ठीक किया जाना है। दूसरा, हमारे बड़े सीनियर मंत्री यहां बैठे हैं, आडवाणी जी, मैं यह चाहूंगा कि वे और उनकी सरकार इतना ही एक काम करे कि 50 हजार रुपए से ज्यादा इन्कम टैक्स देने वाले खानदान ऐसे दो बच्चों को पालें। अभी कमला जी ने एक केस बताया, मैं भी अपना एक छोटा सा केस बयान करना चाहता हूं। जब से मैं शऊर में आया और मैं खुद कमाने लगा तब से मैंने यह फैसला किया कि मैं एक बच्चे को जरूर अपने साथ रखूंगा। मेरा बेटा भी तो

रहता है, वह भी मुझे पानी उठाकर देता है, मेरे जूते पर पालिश करता है, मेरे सारे काम करता है। तो एक बेसहारा बच्चे को लेकर मैंने पढ़ाया और मैं अभी भी दो बच्चों को रखे हुए हूं और इस तरह काम कर रहा हूं। समाज में यह फैसला लिया जाए, अपील हो, सदन से अपील हो कि जो 50,000 रुपए टैक्स देने वाले लोग हैं, जिनकी एक बड़ी तादाद देश में मौजूद है, जो अब एक करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, वे लोग 2 या 4 बच्चे रख सकते हैं और उनको पढ़ा-लिखा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ा काम होगा। इस अपील के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक बहुत जरूरी था और साथ-साथ फैमिली प्लानिंग में राईट टु लिव का फैसला आपको करना होगा।

महोदय, एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमारे पास बहुत से जॉब्स पड़े हुए हैं। आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पर लाल पगड़ी वाला कुली नहीं दिख रहा है और सैकड़ों छोटे-छोटे बच्चे कम पैसे में सामान ले जाना चाहते हैं। उनको आप नीली और पीली वर्दियां दे दीजिए। रेलवे मंत्रालय के कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं नितीश जी यहां पैठे हुए हैं। कुलियों की यूनियन बहुत बड़ी है, इसलिए उनको कोई दाखिल नहीं होने देता। ऐसे बच्चों को मदद देने की जरूरत है। आप कुछ वर्दी वगैरह उनको दिलाने का प्रबंध कर दीजिए। कौन सा आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं? एक लेबल ही तो दे रहे हैं। इनके लिए कोई कलर तय कर दीजिए ताकि वे बच्चे कुछ कमाई तो कर सकें। ऐसा रास्ता इनको निकालना चाहिए। अभी तो ये चुन-चुनकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं, धागा चुन रहे हैं, कपड़ा चुन रहे हैं, और चीजें चुन रहे हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि हम मेहनत करके काम कर रहे हैं। इसलिए मेहनत की तरफ उनको ले जाना है। उनको वह मौका मुहैया कराना है। शुक्रिया।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI MENAKA GANDHI): Hon. Vice-Chairman, Sir, I have been listening attentively for the last two hours to all the suggestions that have been made. As Kamlaji has said, I am going to have to reject the Bill. But I would like to give you a few suggestions. One is that the problem of street children, or the problem of all children, unfortunately, is spread over the entire Government with each Ministry having to do a certain amount. Therefore, instead of going in for major solutions, each Ministry can at best give band-aid solutions instead of cradle-to-grave solutions. Somebody will do education. Another will do orphanages. The third one will do the policing and the fourth one will do something else. The basis of it all, whether for children or for India, is the fact that you would not have any street children because this is merely an urban phenomenon. You don't have street children in villages—perhaps there are very few of them in small towns—because they are looked after by a caring community, as long as they are within the community. This is an urban phenomenon and it happens because (a) land degenerates and (b) water disappears. When these two things happen, the whole family disintegrates and children move. It is also one of the reaons why we have more children than, perhaps, we should necessarily have. As a state we have more children than we can support because environmentally each family does not feel capable of supporting itself and, therefore, children become wage-earners.

One of the suggestions made was that the Labour Act should be introduced to put street children as part of the banning process, that they should not be allowed to work in the streets. Unfortunately, I do not agree with this because the more you put the bans, the easier it becomes for the Police to take advatage of children. The second point is that this Bill suggests that we should make more homes, more confining centres for children. I don't believe that the state should, in fact, make more homes, apart from the fact that perhaps financially it would be very difficult. But that is not the point. Justice Ranganath Misraji said that the state can find money. Money is not the point, even though it is a part of my speech to say that I don't have enough money. But money can be found. It can be created. However, the problem is not that. The problem is that we

4042/RS-F/98

cannot even run the centres that we have now. The ethos in this country is that something that doesn't belong to me, doesn't belong to anybody. Therefore, a street child is at the lowest of all the things that we care for.

Taking a child, putting him into a home because he is a beggar, because he is a rag picker, because he does not have a home, is in fact taking him away from public eye, confining him to a policing home were he will do exactly the same, except that this time he will do it under police or under the policing system. Therefore, I am totally in favour of community care and NGO care. Now, what this Government has done is, it has started a scheme for the welfare of street children which is being implemented in 24 cities by 84 NGOs. I am not in favour of Government taking care, except to provide money to the NGOs. Mr. Fernandes also asked why we should get foreign money for NGOs. I am afraid, again I disagree. I think foreign money is very essential. Children are international treasure. Therefore, people who have more money should definitely give it to children who need it. Therefore, whoever gives from anywhere in the world, whether it is CARE or UNICEF or System, we should take it. After all, it is our money. India also pays towards the UNICEF System. We are merely getting some of our own money back. So, we have got a programme which has been launched in 24 cities. This year, we have increased it. We are giving Rs. 8 crores to some of these schemes.

I would like to inform the hon. Members about a new scheme which we have started. I have recently inaugurated it in Mumbai. I think it will work much more than any other scheme. That is called Helpline. The Telephone Department has given us a special number—I think it is 1098. What we have done is, we get street children to man a telephone system along with lawyers, teachers, socio--welfare-workers who are known as semi-policemen. Now, this number is given to all children in the city through word of mouth. In fact, in Mumbai, we have trained 400 children and we have seen that practically every child above the age of six or seven knows that number. Anytime they are in trouble, whether they are in trouble with police, whether they are in trouble because somebody is forcing drugs on them, whether little girls are being taken away for illegal activities, whether even children are fighting amongst themselves—bigger children attacking the smaller children—they use this number of immediately aid in terms of counselling, medical, police, social welfare is rushed to them. If they are ill, they are taken to centres run by NGOs for which we pay. Now, this scheme has been started in 10 cities to begin with and if it is successful, every small town will be encouraged to have it. We would be happy to pay for it. There is enough money for it. In this case you do two things. One, the child is not going to stop earning. Yesterday, in all the TVs and newspapers there has been an equivalently large noise made in England because even though it calls itself a developed country, these street children are working just as much there. It is a fact that they are working in different professions. There is not a single country in the world, however developed or under developed, in which children are not being used as labour in some form or the other.

It is just you cannot take them away from it beause they won't go. The only method by which you can take him away is to police the family which is distasteful to everybody in India. We can just help them make slightly better by providing them amenities, not concrete structures. You cannot give a home. It would be idealistic—I will be the first person to be one with you—if we could give them each a home and if we could give each a job. The best that we can do is to give them vocational training—as Kamla ji suggested—in the village itself, on the land with vocational centres and this is something my Ministry is putting a lot of

money into. We are looking for new schemes. For instance, there are standard schemes, like little girls should be taught only cooking and sewing and young men should be taught only lathe-making. Instead of that, you give them things that they can operate in the urban cities. If they are going to make a ship, let them be capable of making a ship. Similarly, plumbing, engineering of a very low level and electrical work. It should be non-sexist so that women and men learn how to work in a city with more capability. These are some of the new vocational centres that we are starting.

If we talk of schools, according to the U.N. figures, you would have to start, in India, one school every 12 minutes in order to acommodate children. It is not schools, it is not homes that are necessary. It is the support system within a community that is necessary. This Government has started a new practice of giving a lot of money to community people to look after not just children on the street but also handicapped, old aged so that it becomes a community practice. It is a part of us. Why should we surrender them to some amorphous unknown *door baitha huva* Government to take care of them by merely policing? That is the attitude of the Ministry and that is the Government's attitude. Our street children scheme includes children who are on streets, pavements, children who are in slums, children who are engaged in trades such as rag-picking, petty vending and collecting and selling waste materials from garbage which, I think, should be included. It should also include those who are in hazardous jobs. Also, picking of wastes from hazardous dumps is extremely hazardous. In any case it is in the 1988 Act. An hon. Member has mentioned of expenditure of Rs. 300 crores as recurring and some Rs. 200 crores as non-recurring involved in implementation and, I think, this is also very, very little if we have to look after all children. I say, you can get it done free. It does not need Rs. 300 crores or Rs. 200 crores because if you are going to make it a building-based activity, this is never going to reach your children. It is going to be misused. It is never going to be that particular scheme. It is to be a more community-based. There is no justification for this legislation, I am sorry. I request the hon. Member to withdraw this Private Member's Bill. Perhaps, we can look at the children in a completely different way. Our aim is the same. How we get there has to be understood and decided. Before I finish, I would say that every single Member does not know me. People may say that she looks after animals and she should apply her mind to children. I would tell you that for the last four years I have run the single most successful NGO scheme for picking up kidnapped children from the roads in Benaras, returning them to their parents, making a community centre, taking them out from rug industry and giving them vocational training. I also run one school myself. Really, to use this as an argument that she looks after animals and she does not look after children, is not fair. People who look after any one segment do look after every other segment. It is a question of exercising your heart.

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: वाईस चेयरमैन सर, मुझे आधा मिनट दीजिए। कुछ नर्सें जंतर-मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं। वहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। मैं होम मिनिस्टर की इस ओर अटेंशन चाहती हूं। *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): This is a Private Member's Bill. *(Interruptions)* Now we are having Private Member's Bill. *(Interruptions)*

SHRI JIBON ROY (West Bengal): We are drawing the attention of the Govenment. *(Interruptions)* Will the Home Minister take steps in this matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI) I will find out the facts on this.

श्री अहमद पटेल (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने 12 जून को कबाड़ बीनने वाले निराश्रित निस्सहाय उपेक्षित बालक जो भाग्यहीन है, हालात ने जिनको ऐसा नारकीय और दुख भरा जीवन जीने के लिए मजबूर किया है, ऐसे बालकों के कल्याणकारी उपाय के लिए अपना निजी विधेयक सदन के सामने रखा था। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय सदस्य अहलुवालिया जी, सुरेश पचौरी जी, जलालुदीन अंसारी जी, ओम प्रकाश कोहली जी, सिब्ते रज़ी साहब, नरेश यादव जी, उर्मिला चिमनभाई पटेल जी, सनातन बिसि जी, ईश दत्त यादव जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, संघ प्रिय गौतम जी, विरूबी जी, रंग नाथ मिश्र जी, मार्ग बंधु जी, एम० एन० दास जी, कमला सिन्हा जी, गया सिंह जी, आर०एन० आर्य जी और खान गुफरान ज़ाहिदी साहब, जिन्होंने अपने विचार सदन के सामने रखे और बाय एंड लार्ज सभी ने इस बात को स्वीकार किया और इस निजी विधेयक का स्वागत किया है। मैं तहेदिल से उन मैम्बरान का, उन सदस्यों का शुक्रगुज़ार हूं। मंत्री महोदया जी ने भी सरकार की ओर से अपने विचार सदन के सामने रखे लेकिन उसके बारे में मैं जिक्र करूं उसके पहले गौतम जी ने जो एक मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे पर मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि इस बीमारी का मूल कारण क्या है उसमें हमें जाना चाहिए। कबाड़ बीनना, भीख मांगना, गुंडागर्दी करना, आवारागर्दी करना या शातिर अपराधी बन जाना यह तो बीमारी के सिस्टम हैं। असली बीमारी या उनका मूल कारण क्या है उसमें हमें जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि बीमारी का मूल कारण जैसा इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, गरीबी और खासतौर पर पापुलेशन है। उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि यह तो इब्तिदा ए इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदा ए इश्क तो है। इसकी शुरुआत तो है आपकी सरकार की लेकिन इश्क के लिए पहली शर्त है वफा। उनसे वफा की क्या उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है? गौतम जी नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है मजा तो तब है जो गिरते हुए को थाम ले। मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं मैं उनका आभारी भी हूं। मैंने 12 जून को ही अपने विचार इस विधेयक के बारे में रखे थे, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम जो समस्याएं हैं उनको मंत्री महोदया जी ने भी स्वीकार किया है और समस्याओं के समाधान की जो आवश्यकता है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं मैं उनका आभारी भी हूं।

गौतम जी ने एक बात और कही थी, खासतौर पर फैमली प्लानिंग की, बर्थ कंट्रोल की। यह कहना सही नहीं होगा कि 50 साल में कुछ नहीं हुआ है इसलिए अब कुछ नहीं होना चाहिए। जब स्वर्गीय संजय जी ने फैमली प्लानिंग की शुरुआत की थी और गरीबी को मद्देनजर रखते हुए इन्दिरा जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी जो इमरजेंसी एक्सेसिज के नाम पर, इमरजेंसी की ज्यादतियों के नाम पर जो झूठे केस थे कि यहां ज्यादतियां की गई फैमली प्लानिंग के नाम पर, बर्थ, कंट्रोल के नाम पर और उसको उठाने वाले कौन लोग थे इसको मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। यह भी हमारा तजुर्बा है। ठीक है। यह निजी विधेयक है। इसमें मैं राजनीति नहीं लाना चाहता हूं लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और माननीय सदस्यों ने जो अपने बहुमूल्य विचार इस सदन के सामने रखे हैं और मंत्री महोदया जी ने अपने विचार सरकार की ओर से रखे हैं, यह महज एक औपचारिकता बनकर न रह जाएं या सिर्फ बहस बहस तक सीमित न रह जाए इसलिए इसके बाद आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे रंगनाथ मिश्र जी ने यह कहा था कि इसके लिए धनराशि की कमी है लेकिन मंत्री महोदया ने कहा है कि इसके लिए धनराशि की कमी का कोई सवाल ही नहीं है तो यह अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर इन असली समस्याओं का हल नहीं ढूंढा गया तो मैं समझता हूं कि इससे आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में सैकड़ों, हजारों बच्चों को हम सड़कों पर भीख मांगते पाएंगे या कबाड़ बीनते हुए पाएंगे या गुंडागर्दी, आवारागर्दी करते हुए पाएंगे या शातिर अपराधी बनते हुए पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी या इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमारे एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि कम से कम एक सर्वेक्षण तो इसके बारे में होना चाहिए कि ऐसे कितने बच्चे हैं। उसके बाद ही तो उसका हल ढूंढा जा सकता है। मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए फिर से एक बार मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह जो गम्भीर समस्या है, इस समस्या की ओर खासतौर पर ध्यान दें। यह जो सवाल है, यह जो समस्याएं हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार मैं जिन-जिन सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं और मंत्री महोदया जी ने समस्याओं को स्वीकार किया है इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जो निजी विधेयक मैंने पेश किया था इस अपेक्षा के साथ कि आने वाले दिनों में इस पर

कुछ ठोक कदम उठाये जाएंगे इसको वापस लेता हूं। मुझे खुशी होती अगर सरकार की तरफ से यह विधेयक पारित किया जाता, लेकिन पारित नहीं किया गया इसका मुझे अफसोस है। फिर भी मैं समझता हूं कि जैसा इन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जरूर कोई ठोस कदम उठाये जाएंगे, इन्हीं शब्दों के साथ जो मेरा निजी विधेयक है उसको मैं विदड्रा करता हं, वापस लेता हूं।

The Bill was, by leave, withdrawn.

---

5 P.M.

THE PREVENTION OF BARBAROUS AND BEASTLY CRUELTY AGAINST WOMEN BILL, 1995

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

मृत्यु दण्ड के भयोपरापी दण्ड का प्रावधान करके, किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करने के पश्चात् विकृत करके या गला घोंटकर या किसी अन्य तरीके से उसकी हत्या करने, किसी गर्भवती स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार या बलात्कार करने, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु या गर्भपात हो जाये, के पश्चात् उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने या उसके शरीर को तंदूर में जलाने या उस पर पेट्रोल, मिट्टी का तेल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर जलाने या किसी स्त्री को जीवित जलाने जैसी बर्बरतापूर्ण और पाशविक क्रूरता का निवारण करने और उससे संबंधित तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ...*(interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Madam, you go ahead. You have another four minutes.

कुमारी सरोज खापर्डे: महोदय, आज के ...**(व्यवधान)**...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, now she can move the Bill. She can give her speech afterwards...*(interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): अभी चार मिनिट का समय बाकी है हाउस एडजोर्न होने में।

श्री खान गुफरान जाहिदी: महोदया, क्या ये कंटीन्यू होगा, ये आगे बोलेंगी क्या? ...*(interruptions)*...

SHRI JOHN F. FERNANDES: I think, she can speak afterwards.

कुमारी सरोज खापर्डे: महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया इसे आप अगले समय में ले लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी शुरू करूं और इसके बाद आगे शुरू करूं, इससे तो अच्छा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप मौका देंगे तब मैं अपने विचारों को आपके सामने और सदन के सामने रखूंगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Monday, the 13th July, 1998.

The House then adjourned at two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 13th July, 1998.